

[Shri Godey Murahari]

-serving here I shall endeavour to keep these ideals in view and try to make the experiment of parliamentary democracy in this country as successful as it should be and I expect all sections of the House would give me their co-operation because I know many people sitting on the other side are friends and colleagues with whom I have worked even outside this House. As a matter of fact, with many of them I had started my politics, and, therefore, I am very confident that in the conduct of my duties as Deputy Speaker, I shall not only get the co-operation from the Treasury Benches but also the side to which I belong now. At the same time I am conscious of the fact that it is not always the Opposition that needs protection from the Chair, sometimes it is the Treasury Benches—I think, many times it is the Treasury Benches that require protection from the Chair, because when the Opposition forms the Ministry it is often times the Chair which has to protect the Treasury Benches. I am conscious of all these factors while I take up the duties of the Deputy Speaker.

I once again thank everyone of those who have spoken as also you for felicitations.

12.10 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE ADDRESS BY THE VICE-PRESIDENT ACTING AS PRESIDENT—Contd.

MR. SPEAKER: Now we will take up further discussion on the President's Address. We have taken 4 hours 45 minutes. Hitherto the leaders of the parties were speaking. Naturally, I gave them enough time. I did not want to disturb them. But at least from now if we reduce the time limit, and if each Member can take five to ten minutes, larger number of people will be able to speak.

To facilitate more new members to have the opportunity to take part in the debate I am suggesting that ten minutes may be taken by each one of you, so that large number of members can be accommodated. Mr. Yamuna Prasad Shastri has already taken 26 minutes. I would request him to conclude quickly so that others may get a chance.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं जब बोल रहा था तो मैंने आप के माध्यम से सदन में यह अनुरोध किया था कि जनता पार्टी की सरकार वैदिक मामलों में वास्तविक रूप में गुट निरपेक्षता की नीति को मांगेगी। लेकिन उस के लिये दो मापदण्ड नहीं होंगे कि कहीं पर अगर मानव अधिकारों का हनन हो तो उस के विरुद्ध तो आवाज उठाये लेकिन अगर दूसरे गुटों के देशों में मानवता की हत्या हो तो उस के लिये हम कुछ न बोलें। इस को हम गुट निरपेक्षता की नीति नहीं मानने। जनता पार्टी की सरकार मानवाधिकारों के हनन के विरोध में अपनी आवाज बुलन्द करेगी चाहे वह रूसी ब्लाक के देशों में हो या अमरीकी ब्लाक के देशों में हो। जहां पर भी मानवाधिकारों का हनन किया जायगा उसकी गुंज जनता पार्टी की सरकार सारे विश्व के सामने रखेगी, और यही सच्ची गुट निरपेक्षता का मापदण्ड रहेगा।

इसके अतिरिक्त मैं ने कल प्रतिपक्ष के नेता से यह सुना कि संविधान के 42वें संशोधन में हमो संसद की प्रभुसत्ता की स्वीकार किया है और उसमे हम पीछे नहीं हटेंगे। यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। संसद की प्रभुसत्ता के लिये आप ने 42वें संशोधन में क्या किया है? आप लोगों ने संसद की प्रभुसत्ता की निर्मम हत्या की है। पिछले 20 महीनों के अन्दर/संसद के अन्दर माननीय सदस्य कुछ बात कहें

वह देश के सामने न आ सके समाचार-पत्रों में प्रकाशित न हो सके क्या यही संसद की प्रभुसत्ता की आप ने रक्षा की है। आप ने 42वें संशोधन में यह व्यवस्था की है कि कुछ कानून जो सरकारी पार्टी की रक्षा के लिये बनाये जायें या इसके नेताओं की/कुसी बचाने के लिये बनाये जायें उनको अदालतों में चुनौती न दी जा सके। नवें परिशिष्ट में उनको रख दिया जाय। मैं नहीं मानता कि इस से संसद की प्रभुसत्ता की रक्षा होगी। संसद कोई भी कानून बना सकती है, इस की प्रभुसत्ता अपरिहार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन संसद जो कानून बनाये उस की व्याख्या करने का अधिकार न्यायलयों को रहना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता तो संसद की प्रभुसत्ता की आप रक्षा नहीं कर सकते। जहां तक देश के संबंध में किसी तरह के कानून बनाने का प्रश्न है वह संसद का अधिकार है। लेकिन न्यायालयों का यह अधिकार भी अक्षुण्ण रहना चाहिये कि वे इसकी जांच कर सकें कि जो कानून संसद ने बनाया है वह मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला तो नहीं है, संविधान की परिधि से बाहर जाने वाला तो नहीं। यह परीक्षण करने का अधिकार न्यायालयों को अवश्य होना चाहिये। इसीलिये राष्ट्रपति महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि इस तरह की व्यवस्था की जायगी ताकि जनता और संसद संसद और न्यायपालिका के अधिकारों का संतुलन बना रहे और जिस तरह की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी वह ज्यों की त्यों बनी रहे। मैं समझता हूँ कि इस बार के चुनाव के परिणामों में जो आप को सबक मिला है उस को देखते हुए कोई अड़ंगा नहीं डालेंगे और झूठी डींग हांकना आप छोड़ देंगे।

संसद की प्रभुसत्ता की रक्षा के लिये इस देश में अगर सब से पहले किसी ने

आवाज उठाई थी, तो वह थे स्वर्गीय श्री नाथ पाई। उन्होंने संसद की प्रभुसत्ता की रक्षा करने का संकल्प प्रस्तुत किया था और संविधान में संशोधन प्रस्तुत किया था। बहुत दिनों तक कांग्रेस पार्टी वालों ने उस का समर्थन तक नहीं किया था। संसद को गत 19 महीनों में अपने शासन काल में पंगु बनाकर, उस की हत्या करके यह कहा जाता है कि संसद की प्रभुसत्ता को हमने कम नहीं होने दिया, 42वां संशोधन करके हमने संसद की प्रभुसत्ता की रक्षा की है। जबकि वास्तविकता यह है कि न संसद की प्रभुसत्ता की रक्षा की, न जनता की प्रभुसत्ता की रक्षा की और न ही संविधान की मर्यादाओं को बचाया गया। आप ने देश की जनता के अधिकार को छीन लिया कि अगर कोई सरकार को बदलने की कोशिश करेगा, बलपूर्वक कोई कार्यवाही करेगा तो उसे राष्ट्र विरोधी गतिविधि माना जायगा। अगर कोई शांतिपूर्वक अपने अधिकारों की रक्षा के लिये हड़ताल करना चाहे तो वह भी राष्ट्र विरोधी माना जायेगा, कोई न्यायालय में नहीं जा सकता था। शासकीय कर्मचारियों को यदि कारावास कर दिया जाय, तो वे न्यायालय में नहीं जा सकते थे। जैसा लोकतंत्र में आप ने किया इस तरह की कल्पना नहीं की जा सकती थी। आप ने जो इस तरह के संशोधन किये हैं उनको यह सरकार समाप्त करना चाहेगी। आशा है आप उस में अड़ंगा न डालेंगे। अगर आप इस में अड़ंगा डालेंगे तो इस देश की जनता आप को देखेगी। पहलू यहाँ पर यह सदन है, इस के ऊपर इस देश की जनता है जो कि सर्वोपरि अदालत है वह आप के ऊपर निगरानी रखेगी। अब तक जो आप ने किया है, उस का परिणाम आपने देख लिया है। अगर फिर भी उस में कोई अड़ंगा चाहेंगे तो इस की जनता आप को देख लेगी।

[श्री यमुना प्रसाद शास्त्री]

क्षितिज पर जो लिखा है, उस को आप अच्छी तरह से देखें और जो हुबा का रुख है उस को अच्छी तरह से पहचानें। जनता पार्टी की सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये संविधान में जो संशोधन करना चाहती है, हम अपेक्षा करेंगे कि आप समय की गति को पहचानेंगे और उस का समर्थन करेंगे।

शासकीय कर्मचारियों के अधिकारों को छीना गया और उन में से कई को मनमाने ढंग से बर्खास्त कर दिया गया और न्यायालय की शरण में जाने से भी उन को रोक दिया गया, क्या आप इस तरह से लोकतन्त्र को अथवा संसद की प्रभुसत्ता की रक्षा करना चाहते थे? इस तरह के प्रावधानों को यह शासन समाप्त करना चाहता है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इन बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे।

प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि इस देश की जो प्रगति हुई है उस के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने प्रमाण पत्र दिया है। उन्होंने हम से कहा कि इस तरह की बातों की क्या अनदेखी करना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने क्या कहा है, इस से इस देश की प्रगति का लेखा-जोखा नहीं लगाया जा सकता है। इस देश में क्या प्रगति हुई है, इसका आकलन इस देश की जनता करेगी और वह आकलन इस तरह से होता है कि इस देश का जो सब से निचला तबका है, उन लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया है। इस को भी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने देखा है, आप गलतफहमी में न रहें, विदेशी अखबारों ने आप की कलाई को खोला है। जिस तरफ आप ध्यान दिलाना चाहते हैं, उस के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय

संस्थाओं को पता है। आपने कहा कि हम ने इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को समाप्त कर दिया है, आप विदेशी पत्रों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात करते हैं उन्होंने भी लिखा है कि कृत्रिम तरीके से मुद्रास्फीति को कम नहीं किया जा सकता है। इस को कम करने के दूसरे तरीके हैं, उत्पादन बढ़ना चाहिये, लोगों को काम मिलना चाहिये और उन की श्रमशक्ति बढ़नी चाहिये। लेकिन आप ने इस इन्फ्लेशन को दूर करने के लिये क्या तरीके अपनाये हैं, जो गरीब से गरीब भजदूर है, जो मुश्किल से अपना पेट भरता है उस को जो राशि मजदूरी या महंगाई भत्ते की मिलती है उस में से कुछ रकम आप ने अनिवार्य बचन योजना में, सी० डी० एम० में जमा कर ली है।

इस देश के सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के मजदूरों तथा सरकारी कर्मचारियों आदि छोटे से छोटे आदमियों की आमदनी का एक हिस्सा अनिवार्य जमा योजना में जमा कर दिया गया है। जहां तक कीमतों का सम्बन्ध है, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट और वित्त मंत्री महोदय के भाषण से स्पष्ट है कि थोक मूल्यों में 12½ प्रतिशत और फुटकर मूल्यों में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन लोगों की आधी आमदनी को कम्पलसरी डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दिया गया है। इस प्रकार पिछली सरकार ने करोड़ों लोगों को भूखों मरने पर विवश किया है और उन के परिवारों की दशा दयनीय हो गई है। क्या मुद्रास्फीति को कम करने का यही तरीका है?

बेकारी में भी वृद्धि हुई है। अभी सदन में बताया गया है कि आठ जूट मिलें बन्द हैं, जिस के परिणामस्वरूप 80,000 मजदूर बेकार हैं। इसी प्रकार टैक्सटाइल मिलों के लाखों मजदूर भी बेकार हैं। यह है पिछली सरकार

की आर्थिक नीति और उस के द्वारा अर्थ-
व्यवस्था में लाया गया सुधार ।

मैं जनता सरकार से यह अपेक्षा करता हूँ कि वह देश के संतुलित विकास की ओर ध्यान देगी । पिछले तीस वर्षों में इस देश के कुछ हिस्सों की स्थिति कंगाल से भी बदतर हो गई है । कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ न सिंचाई के साधन हैं, न उद्योग-धंधे हैं और न कोई रेलवे लाइन है । मुझे आशा है कि जनता सरकार देश के संतुलित विकास के लिए विशेष प्रयत्न करेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभि-
भाषण पर पेश किये गये धन्यवाद-प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूँ ।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur):
Mr. Speaker, Sir, I watched with rapt attention the participation of new Members and also listened to the speeches of Sarvashri Karpoori Thakur and Hegde.

My leader, Mr. Chavan, has put it very rightly that some of the new Members on the opposite side are our old socialist friends. Some of them are, of course, new friends.

Mr. Speaker, Sir, most of the speakers in their speeches have only blown out the air and dust of the elections and it was a rather pale picture that they have depicted about the policies and programmes of the Janata Party. They have made mostly statements of their election experiences and at the same time they have castigated the good things done by the previous government as according to them, they were bad.

Of course, I appreciate that the new government during its short existence of seven days cannot do much. I can also see that the new Prime Minister has made a categorical statement while assuming office that the verdict of the people will be respected and in accordance with the verdict of the people, that there is no malice, there is

no vindictiveness and there is no prejudice and there is no jealousy. But in most of the speeches, I think most of the members criticised the defects of the previous government and sometimes even accused, in the choicest words, the previous government and its set up. Sir, most of our friends on this side are also representatives of the people and the Janata Party has been in existence only since 3-4 months. But here is the Congress Party which has been saddled for the existence and for the freedom of this country and most of the stalwart leaders like Shri Jagjivan Ram and our present Prime Minister were part and parcel of this Congress Party and most of the new members may not be knowing it, but we respect the leader of this House, the Prime Minister.

SHRI SURATH BAHADUR SHAH (Kheri): You Congress was born only in 1969.

SHRI K. LAKKAPPA: With all respect, our Prime Minister, while assuming office has categorically stated that he will not run the Government with the prejudice of the previous government. Sir, most of the Members of that Party have categorically castigated personally the previous Prime Minister and various speakers including the sharp speaker, Shri Hegde, have made certain speeches discrediting the accountability and the respectability and whatever the things done by the previous government. I never expected this attitude. I do not know the mind of the Prime Minister, but most of the Members must know what the assurance given by the hon. Prime Minister to this House is. Sir, they have charged that the Congress Party has ruined this country, the Congress Party is responsible for mutilation of the Constitution and all these things.

MR. SPEAKER: Mr. Lakkappa, there is a clarification.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): I have not given any blanket assurance of any kind. I only said that there will be no witch-hunting, there will be no vengeance and we are not going to do anything deliberately against anybody. But if any complaints come, we will have to go into them. More than that, when the hon. Members and even the Leader of the Opposition calls the Janata Party an animal how do they expect my colleagues here not to take notice of it?

MR. SPEAKER: Mr. Lakkappa, I don't think anybody has anything to say personally against the ex-Prime Minister. Certainly not. They will have to criticise the policies and they have criticised. There is nothing wrong in that. I have heard the speeches. Personal attack was not at all there. About the policy that was followed and all that, they said it was a wrong policy. But there was no personal attack. We shall not allow that. Mr. Lakkappa, go ahead with your speech.

SHRI SURATH BAHADUR SHAH: On a point of information, Sir.

MR. SPEAKER: How can the Chair give you information?

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, the President's Address has given or painted a very gloomy picture about it and it could not spell out what is the policy, the programme and the ideology of the Janata Party because I know the inner contradictions of the Janta Party consisting of these people. They have got a lot of contradictions themselves. Of course Mr. Patel has also stated that this is not the policy and philosophy of their party, but they have presented a Budget which was prepared by the previous Government and have done so only as a constitutional requirement. Therefore, Sir, I do not want to comment on it.

Sir, regarding the President's Address, should it not reflect the real

picture and the programme which is envisaged or likely to be envisaged by the present Government? It should bring out all that they had inspired and pictured in their manifesto. Even that has not been made clear in the President's Address. Why? My friend Hegde said that nothing had been done; I should like to quote the figures to show the achievements of the twenty point economic programme.... (Interruptions). You must give credit to the good things that were done by the previous government. As Mr. Subramaniam pointed out yesterday, if you want to demolish the entire image of the country, you may do so. The hon. Prime Minister said that the attitude of the present government would not be a vindictive one or prejudicial to the nation. I am glad about that. Our Leader had also assured him that wherever possible there will be co-operation and constructive opposition. You cannot say that there was no discipline, no production or no achievement during the Emergency, and that the 20 point programme was a farce. The index of production for basic industries rose from 91.5 to 102.7 in 1975-76. There was a 12 point rise in coal production, 15.3 point rise in fertilisers. So, you cannot say that there were no economic achievements and there were only Emergency and black laws. In your opinion there may have been black laws. But a verdict in our favour has been given in the south. Do you think the votes in the South are not angels and all the voters in the north are all angles. Emotional considerations might have been there in the north and they might have upset the elections.

12.33 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair].

We believe in democracy, socialism and secularism and there will be further elections also: this is not

the first time that I am here; I am here and this is the third time. Steel production increased by 17.9 cement production by 17 points, power generation by 13.2 crude oil by 9.8 and aluminium by 55.3 points, and vanaspati by 40. They were referring to black laws. What are the black laws? There was ceiling on agricultural land and surplus land was distributed in the country. I know my friend Karpuri Thakur; he represents the minorities in Bihar, he was in my party earlier. He is a very respectable leader and he says that no land was distributed. Here is a report which says that the total number of returns filed under the ceiling laws was about 13.21 lakhs; seven lakhs of cases have been disposed leading to the declaration of 17.85 lakh acres of land as surplus land.

Let the total number be 5 lakhs or 10 lakhs or 17 lakhs. But you will agree that land reforms have taken a deep root in this country. Are they not progressive measures? There is no use discrediting the previous Government and the previous leader for bringing forward social legislations like these. Many hon. Members would agree with me that social legislation like land reforms, etc. is a great achievement. 57 per cent of the total population in this country are living below the poverty line and they are rural based. They have been, for the first time, given house sites and other facilities during the Congress Government rule under the leadership of Shrimati Indira Gandhi. You are aware that there is no problem of house sites in Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Goa, Diu and Daman, Lakshadweep and Mizoram. In the remaining States, about 68 lakh house sites have been allotted to the landless and weaker sections. In States like Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, U.P. and the Union Territories of Chandigarh and Delhi, allotment of house sites has just been

completed. For the construction of houses on the sites allotted to them, most of the States have taken up the question of providing either free or at subsidised cost building materials and other things. But you cannot say that this work has to be completed in full within a short period of time. You know that ours is a big country where the Government machinery has to be geared up to do this job. Of course, there may be mistakes and faults on the part of the bureaucracy. But do not make such remarks against the previous Government which had brought forward progressive measures. Take, for instance, abolition of bonded labour. Which Government had abolished the bonded labour? Bonded labour could not be abolished for the last 30 years or so. At that time, our present hon. Prime Minister was the Finance Minister and the Deputy Prime Minister. At that time I was on the Opposition side. The socialist friends who are now sitting on the other side were demanding social legislation like abolition of bonded labour. This was done by the Congress Government. But if we had failed to abolish the bonded labour, then there would have been a lot of criticisms both inside and outside the House.

Then other social measures like liquidation of rural indebtedness, moratorium on the recovery of loans taken by landless and small farmers were also brought forward. Do you want to do away with these legislations? Is it the policy of the present Government to do away with these legislations? Is it the reflection of the will of the people of this country? I do not think it is so. I think in the northern belt, certain emotional issues were being involved and that is why the election results in these areas were upset. But it is not so in southern States. It is a credit for the Congress Party that their programmes have reached the hearts of the common people there. My experience in the recent elections is

[Shri K. Lakkappa]

that thousands of people with their colourful dresses came to the polling booths and voted for Congress. People belonging to the minority community Muslims and Harijans, had come in large numbers and voted for Congress.

In 1971, when the Congress won the elections in a big way, you said that the elections were rigged. Now you have won the elections. You should not have a double standard. You must stick to democratic values. You must see to it that the progress made by the previous government is not disturbed. I know who were the people who voted for the Janata Party in my State. They were traders, blackmarketeers, pawnbrokers and others who exploited the poorer sections. The previous government passed some legislation and some briefless lawyers are going about saying that this legislation is fraud. This is a ridiculous approach. As has been pointed out, the people have put you on probation. Our new Prime Minister is a very respectable person and he does not have any inner contradictions. I am appealing to him that certain progressive measures taken by the previous government should not be disturbed. That assurance must be given. The House should remember that at that time the prices had risen very high and the blackmarketeers were acting in collusion with these smugglers. The ordinary law was not enough to deal with the smugglers. There are illustrious lawyers in the House and they know how in most of the cases involving smugglers, they were defended by brilliant lawyers who could go on obtaining stay orders from the courts and evade the law. This was detrimental to the economy of the country. That is why these laws were passed. There might have been some lapses on the part of the previous government, but you should not call all

those laws black laws. The bureaucracy also was responsible to a great extent. You are now in power and within six months you will know how the bureaucracy acts. So, don't be very complacent that everything is all right. Immediately after the elections, in spite of the assurances given by the Prime Minister, in my State, Harijans, Muslims and other minorities were being harassed by the Janata Party workers and they are being victimised. There is a central law to protect the Harijans, but still they have been prevented from drawing water from the wells and beaten up by the Janata workers. (*Interruptions*). Sir, I am speaking with emotion because my party flag was burnt by the Janata workers. Mr. Hegde was saying that during the elections, the Congress Party was distributing sarces and other gifts to the people, that it was using a large number of jeeps and other vehicles and so on. But what did the Janata Party do? They deployed double the number of vehicles; they distributed double the number of sarces and other gifts! And the double number of posters have been distributed. From where did those posters come? And from where did those jeeps come?

I think this Government gives a glorious picture of what they are going to produce in the Government. I think no credit should be given for that. So far as this Address is concerned, there is no indication as to how you are going to function. Therefore, I would once again appeal to the Prime Minister to see that whatever progressive laws that have been passed by the previous Government, should not be disturbed and vindictive attitude should be stopped. I can give one example. You are talking about interference with judiciary. Now, the same judiciary is there. Mr. Subramaniam Swamy's foreign exchange case has been withdrawn immediately by this Government. Is

it not an interference with the judiciary? So, do not say all these things. These things are there. I think we will have ample opportunity to say more after the announcement of the policy and programme by this Government.

श्रीमती मृगाल गोरे (उत्तर बम्बई) :
अध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं राष्ट्रपति महोदय को उनके अभिभाषण के लिए बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने अभिभाषण में उन सब बातों का समावेश किया है जो चुनाव के जरिए इस देश की जनता ने चाहा है। इस देश की जनता ने अपनी आकांक्षा रखी है कि वह इस देश में तानाशाही नहीं चाहती है बल्कि लोकतंत्र चाहती है। इस देश की जनता ने बताया है कि देश को लोकतंत्र को फिर से कायम करने के लिए हमें इन बातों को करना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसी कई बातें दी गई हैं जिनसे जनता की भावनाएं व्यक्त होती हैं।

कल मैंने विरोधी दल के नेता सम्मानीय श्री यशवंतराव जी चव्हाण और दूसरे सदस्यों के भाषण सुने। मैं सोचती थी कि आगे के कामकाज के बारे में विरोधी दल से और उसके नेता से कुछ बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन वे सामने वाले घर की ओर ही देखते रहे हैं। मैं अपने विरोधी दल के लोगों से इतना ही कहूंगी कि पहले आप अपने घर की तरफ तो देखें, आपके घर के खंबे गिर गये हैं, जिसकी ईंटें हर दिन गिर रही हैं। आज भी गुजरात में गिर रही है। पहले आप अपने मकान को तो ठीक रखिए तभी आप दूसरे मकान की तरफ ध्यान दीजिए। हमारा मकान नया है, इसका तो अभी प्लास्टर ही हो रहा है।

यह बिल्कुल साफ बात है कि देश की जनता ने अपना फैसला दे दिया है और आज जनता पार्टी के रूप में यह जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को सामने रखने का काम हो रहा है। मैं समझती हूँ कि देश में लगातार

तीस साल से जो सत्ता में चले आ रहे हैं उन से लोगों की आकांक्षा पूरी नहीं हुई है। फिर लोग यह आशा रख कर बैठे थे कि कभी न कभी हमारे जो सवाल हैं ये हल होंगे और कुछ काम होगा। लेकिन पिछले तीन चार सालों में और खास कर पिछले बीस महीनों में जो एक सिलसिला लोगों ने देखा और यह देखा कि उनके सवाल हल नहीं हो रहे हैं, गरीबी हटाओ का नारा लगा कर भी गरीबी दूर नहीं होती है और दूसरी तरफ देश में लोकतंत्र को ही खत्म करने का काम किया गया है, नागरिक आजादी खत्म करने में आई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई है और अखबारों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई है तब जाकर इस देश की जनता ने सोचा कि सब से पहला काम अगर कुछ होना चाहिये तो यही होना चाहिये कि लोकतंत्र का निर्माण हो, इसको प्रतिष्ठापित किया जाए और आज जो नई सरकार के नेता हैं, सभा गृह के जो नेता हैं और प्रधान मंत्री हैं श्री मोरारजी देसाई उनको मैं धन्यवाद दूंगी कि पिछले तीन चार दिनों में जिस प्रकार के कदमों को उठाया गया है वे प्रशंसनीय हैं। एक नया पहलू जरूर उन्होंने जनता के सामने रखा है और जो आकांक्षा सामान्य लोगों ने रखी थी सरकार से इसकी पूर्ति का कुछ मार्ग दिखाई पड़ रहा है।

मैं जानती हूँ कि सभी सवालों के बारे में पूरी तरह अपनी बात रखने के लिए सरकार के पास समय नहीं था इस लिये पूरी नीति रख नहीं पाये हैं। उन सवालों को गहराई से जा कर विचार करना होगा और उनका हल निकालना होगा। मैं चाहती थी कि उन सवालों के बारे में भी कुछ ठोस बात सामने आती लेकिन नहीं आई है। जो सवाल हैं उन सवालों में मैं समझती हूँ कि सब से पहला सवाल यह है कि जो देश के नौजवान हैं जिन्होंने देश में फिर से लोकतंत्र कायम करने के लिए काफी कुर्बानियां दी हैं, काफी योगदान दिया है, जेलों में गए हैं, दूसरी तरह की भी यतनाएं भोगी हैं और जिन की कोशिश आज

[श्रीमति लक्ष्मी देवी]

भी/देश बनाने की है उनकी जो इच्छा है उसको आपको ध्यान में रखते हुए आपके लिए यह जरूरी है कि उनके लिए आप अठारह साल की उम्र मतदान की कर दें ताकि उनको मतदान का हक मिल जाए। यह काम नई सरकार की जल्दी से जल्दी करना चाहिये। यह बहुत जरूरी है।

दूसरा बड़ा सवाल बेरोजगारी का है। कुछ हद तक अभिभाषण में इसका जिक्र किया गया है। इस सवाल को भी हल करना है। पिछले तीस सालों जिस प्रकार का नियोजन देश में हुआ है, प्लानिंग हुआ है उसकी वजह से यह सवाल गम्भीर होता चला गया है। इस सवाल को हमें हल करना है तो ऊपरी चीजें करके यह सवाल हल नहीं होगा। इसके लिए नियोजन का पूरा तरीका हम लोगों को बदलना पड़ेगा। फिर भी कम से कम आज जो देहातों में है, लोग बेरोजगारी देख रहे हैं और वहां से शहरों की तरफ भी लोग आते रहे हैं और इसकी वजह से शहरों का सवाल भी बहुत पेचीदा बन जाता है उनको शहरों की तरफ आने से रोकने के लिए मैं समझती हूँ कि रोजगार गारंटी स्कीम जिस प्रकार की महाराष्ट्र में लागू की गई है आपको लागू करनी होगी। वहां पर कुछ हद तक यह काम शुरू किया गया है। इस प्रकार की कोई योजना पूरे देश के लिए आप बताएं तो मैं समझती हूँ कि इससे जरूर कुछ हद तक काम बन पाएगा। एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम की कल्पना बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र में जब मैं वहां विरोधी दल में थी तो पूरे विरोधी दल ने इसके लिए अपना सहकार दिया था। लेकिन यह कहते हुए मुझे बहुत रफ्तार होता है कि इस सहकार के बावजूद भी इसका जिस तरह से इम्प्लेमेंटेशन होना चाहिये था नहीं हुआ है, पूरे तरीके से इस अच्छे कानून को भी लागू करने का काम वहां की सरकार ने नहीं किया है और इस को ले कर आज हम नहीं कह सकते हैं कि

एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम महाराष्ट्र में सफल हो गई। लेकिन मेरा विश्वास है कि जनता पार्टी की सरकार जब ऐसी योजना लायेगी पूरे देश के लिये तो उस के जरिये देहातों में बेरोजगारी को हल करने में कुछ हद तक कामयाब हो सकेगी। मेरी मांग है कि रिजर्व बैंक में एक रिवाल्विंग फंड सरकार बना दे और इस निधि को ग्राम पंचायत के हाथ में सुपुर्द कर के नीचे के स्तर से योजना की रूप रेखा बनाई जाये तभी जाकर देहातों की समस्याओं का हल हो सकेगा, खेती में सुधार हो सकेगा और साथ साथ बेरोजगारी भी दूर कर सकेंगे। जनता पार्टी सरकार जरूर इस बारे में सोचे और कुछ योजना जल्द से जल्द बनाये।

हम कहने हैं कि शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, शिक्षा का ढांचा कुछ बदल रहे हैं। लेकिन असल में जो वोकेशनल ट्रेनिंग का काम होना चाहिये था वह आज नहीं हो रहा है। चाहे अलग-अलग रपटों में कुछ भी दिया हो परन्तु वास्तव में सुधार नहीं किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि यह बहुत ही जरूरी बात नई सरकार के सामने आहवाहन के रूप में है।

दूसरा सब से बड़ा सवाल कीमतों की दृष्टि का है। आज देश की जनता बहुत पीड़ित है कि जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ती रहती हैं और इन पर रोक लगाने के लिये आज तक का जो कांग्रेस सरकार का राजुर्बा रहा है वह बहुत ही बुरा रहा। जब भी कीमतें बढ़ती रहीं तो उनको रोकने का काम सरकार ने नहीं किया। मैं तो यहां तक कह सकती हूँ कि जगह जगह पर हमने यह देखा है कि जब किसी चीज की कमी महसूस हुई तो इसका फायदा काला बाजार करने वाले उठाते रहे और उनको कांग्रेस सरकार की तरफ से मदद मिलती रही। इसलिये जरूरी वस्तुओं की कीमतों के बारे में सरकार ऐसे कदम उठाये कि जहां कमी महसूस होती है वहां अपने बफर स्टॉक से

आवश्यक वस्तुयें तुरन्त पहुंचा कर बाजार में कीमतों को न बढ़ने दे। इस की व्यवस्था इस सरकार को करना बहुत जरूरी है। मैं सरकार का ध्यान खींचन चाहूंगी कि गये कुछ दिनों में कई चीजों के दाम बढ़ते रहे हैं, चाय की पत्ती जैसी चीज जिस को हर आदमी इस्तेमाल करता है उसके दाम चुनाव के समय में पिछले एक महीने में 14 रु० से लेकर 25, 26 रु० प्रति किलोग्राम बढ़ गये। मेरी मांग है कि इस का खुलासा होना चाहिये कि चाय की इतनी कीमतें क्यों बढ़ीं? हमारे जैसे लोगों कि पास जो सूचना आती रहती है काफी लोग कहते हैं कि चुनाव में जिस प्रकार से चाय और सीमेंट प्रोद्यूसर्स से कांग्रेस पार्टी ने पैसा लिया उसकी वजह से ही कीमतें बढ़ी हैं। यह आम तौर पर लोग कहने हैं और इस की जांच होनी चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री में कितना पैसा लिया गया है। जरूर इस की मालुमात मिल सकती है। इसके बारे में जांच करके हमको देखना चाहिये। आज ऐसे ही चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसको लेकर सामान्य आदमी बहुत परेशान है। मैं कहना चाहती हूँ कि पिछले चन्द दिनों में ही फिर सीमेंट की कमी हुई है और कीमतें बढ़ रही हैं। मेरा कहना यह है कि यह अर्थव्यवस्था के कृत्रिम रूप से बाजार में कमी कराते हैं और इसको लेकर कीमतें बढ़ाने की कोशिश होती है। अब नई सरकार को देखना चाहिये कि इस तरह की चालबाजी जो अब तक चलती आई है, इसके आगे नहीं चलेगी। इस हवा का एक बार पैदा होना बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से इन कीमतों की तरफ देखना बहुत जरूरी है।

13.00 hrs.

मैं एक दो दिन से अखबारों में पढ़ रही हूँ कि तेल की और दालों की कीमतें घट रही हैं। मुझे मालूम नहीं है, मैं इसका पता लागाऊंगी लेकिन मैं यह समझती हूँ कि यह सरकार जरूर इस मामले में कर सकती है और इसको करना चाहिये। इस सरकार को फैसला करना

चाहिये कि कीमतें कम कराने के इस काम को करना है, जनता की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण काम है।

यह कहा जाता था कि आपात स्थिति में जो फायदे हुए, उसमें सबसे बड़ा फायदा यह था कि आर्थिक स्थिति सुधर गई है, इन्फ्लेशन कम हो गया है, कीमतें कम हो गई हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आपात स्थिति के दौरान जबकि होलसेल इन्डेक्स नीचे आ गया था तब भी कंज्यूमर इन्डेक्स नीचे नहीं आया था। कंज्यूमर लोगों के लिये कीमतें बढ़ती रही हैं, कम नहीं हुई हैं। गये एक साल में तो, जब कि आपात स्थिति कायम थी, यह कीमतें बहुत नेजी से फिर बढ़ने लगीं और ये 9 फीसदी बढ़ गई। कई चीजों के बारे में तो कीमतें 33 फीसदी तक बढ़ गईं।

अमल में आपात स्थिति के बारे में बताया जाता था कि इससे हमारी कुछ आर्थिक स्थिति सुधर गई है, यह बात सही नहीं है, यह बिल्कुल तय बात है। इस प्रकार से कृत्रिम रूप से यह काम नहीं किया जा सकेगा और इसीलिये मैं अर्ज करूंगी कि आम लोगों को इस काम को बहुत गहराई से देखकर इसका फैसला करना पड़ेगा और नई सरकार को इन कीमतों के बढ़ने पर रोक लगागी पड़ेगी।

मैं समझती हूँ कि जब कभी कंज्यूमर प्राइस की हम बात करते हैं तो कहने में तो आता है, देहातों में इस प्रकार का प्रचार आज तक कांग्रेस वालों ने किया है कि यही लोग हैं जो कहते हैं कि किसान को कम कीमत मिले। तो यह बात सही नहीं है। नई सरकार ने बिलकुल ठीक रूप से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा है कि किसान को उसके उत्पादन की पूरी कीमत मिले, इसके लिये ठीक पग उठाने चाहियें। जैसा कि श्री जनेश्वर मिश्र जी ने कहा कि इस सदन में भी इसके बारे में चर्चा होगी, तो यह बहुत अच्छा होगा। लेकिन साथ

[श्रीमती मृणाल गोरे]

हो साथ जो बीच का मिडिल मैन कीमतें बढ़ाने का प्रोग्राम करता है, उसके लिये भी नई सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Would you like to continue after Lunch?

SHRIMATI MRINAL GORE: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned till 2 p.m.

13.04 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Five Minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair].

STATEMENT RE. FIXATION OF INTERIM RATES OF WAGES FOR WORKING JOURNALISTS AND NON-JOURNALIST NEWSPAPER EMPLOYEES

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ravindra Varma to make a statement.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Sir, a statutory Wage Board for non-journalist newspaper employees was constituted by the Central Government on the 11th June, 1975, under section 13C of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955.

A similar Wage Board for working journalists was also constituted under section 9 of the Act, on the 6th February, 1976. The Central Government, being of the opinion that it was necessary to fix interim rates of wages both in respect of non-journalist employees and working journalists, sought

the advice of the two wage boards in the matter. The advice of the Wage Board for non-journalists as well as that of the Wage Board for Working Journalists was made available to the Government in June and October, 1976, respectively. Both the Wage Boards were of the view that non-journalists and working journalists should be given relief from the 1st June, 1975. The Wage Boards also proposed further enhancement in the quantum of relief from 1st January, 1976. An immediate decision should have been taken in view of the urgency of providing relief to the employees. Unfortunately, the then Government took no decision in the matter and kept the question pending.

Government have now taken a decision to fix immediately the interim rates of wages under sections 13A and 13D of the Act on the basis of the advice tendered by the Wage Board for the Non-journalists and the Wage Board for Working Journalists. Government have also considered carefully and sympathetically the question of grant of relief from the 1st of June, 1975, as proposed by the two Wage Boards. While the Government can well understand the case for retrospective fixation of interim wage rates, they have to consider the matter within the framework of the law. Whereas subsection (3) of section 12 of the Act, enables final recommendations of Wage Board being brought into operation retrospectively, there is no such provision in the existing Section 13A relating to the fixation of interim wage rates. The law as it stands, therefore does not clearly empower the Government to fix interim wage rates retrospectively. Government, therefore, propose to take early action to examine in detail whether Section 13A of the Act needs to be changed to give clear power to Government to fix interim rates of wages with retrospective effect.

I am glad to announce that without delaying the matter further, Government have decided to take action to

fix the interim wage rates, according to the recommendations of the two Wage Boards, to come into immediate effect from the date of notification.

I am also glad to inform the House that as a result of the fixation of the interim wage rates there will be increase in the existing emoluments of non-journalist employees ranging from Rs. 23 to Rs. 85 p.m. depending upon the class of newspapers, weeklies, periodicals etc. to which they belong. In the case of working journalists the increase will similarly range from Rs. 85 p.m. to Rs. 131 p.m. Relief is also being given to part-time correspondents.

14.04 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE ADDRESS BY THE VICE-PRESIDENT ACTING AS PRESIDENT—
contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Mrinal Gore to continue her speech.

श्रीमती मृणाल गोरे (उत्तर बम्बई) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सामने यही बात रख रही थी कि आखिर इस देश की जनता दो बातों को समझा चुनाव के सिलसिले में जिस को ध्यान में रख कर नई सरकार को अपना स्थान प्राप्त करना है। मैं यह समझती हूँ कि एक बहुत बड़े सवाल के ऊपर इस देश को और इस सरकार को सोचना है कि पिछले तीस सालों में जिस प्रकार का कारोबार इस देश में चला उस के कारण जनता में एक प्रकार की मायूसी फैल रही थी कि जो हो रहा है इस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इस को हम बदल नहीं सकते हैं और जिस प्रकार से परिस्थिति के शिकार हम बनते रहे हैं उस का कोई इलाज नहीं है, इस प्रकार की एक भावना देश में फैल गई थी। यह सब से बड़ी कमी पैदा हो रही थी और मैं यह समझती हूँ कि आज इस चुनाव ने देश की

पूरी जनता में एक प्रकार का आत्म विश्वास जगा दिया कि हम जो चाहते हैं, जो तय करते हैं वह कर पाएंगे। यह आत्म विश्वास उस ने पैदा कर दिया और इसी को ले कर मैं यह कहना चाहती हूँ कि इस देश की जो बहुत गरीब जनता है, दलित समाज है उस में भी हम ने यह आत्म-विश्वास इस समय देखा। साथ साथ महिलाओं में भी मैंने इस चुनाव के सिलसिले में यह देखा कि एक प्रकार की नई जागृती हो गई है कि देश की जो इस समय स्थिति है उस को समझ कर हम भी उस में कुछ अपना योगदान दे दें।

मेरे म्याल से हमारी आबादी का जो आधा हिस्सा है वह हमारी बहनें और महिलायें हैं। देश की प्रगति के लिए उनका एकटव पार्टिसिपेशन लेना बहुत ही आवश्यक है। इस दृष्टि से मैं कहूँगी कि एक तरफ प्राप ज्यादा मे ज्यादा महिलाओं को सामाजिक प्रक्रिया में जोड़ने का काम करेंगे और दूसरी तरफ जो उनकी समस्याएँ हैं उनको ध्यान में रखकर जिस प्रकार से पार्टटाइम एम्प्लायमेंट देने की बात है उसकी योजनाएँ बनायेंगे। यह काम बहुत ही आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मैं मानती हूँ कि अगर सरकार को यह काम करना है तो उसे इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि जबतक हम इस देश की महिलाओं का स्थान आगे नहीं बढ़ाएंगे, सामाजिक और राजकीय स्तर पर, तबतक इस देश की प्रगति नहीं हो पायेगी। गये ग्यारह सालों में इस देश में एक महिला प्रधान मंत्री रहीं लेकिन सामान्य महिला का स्थान आगे बढ़ाने और सामाजिक प्रक्रिया में उनको शामिल करने के सम्बन्ध में इस देश में कुछ काम नहीं हुआ ऐसा मैं मानती हूँ। एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति का इस देश में निर्माण किया गया जिससे सारी दुनियाँ में हमारा देश कलंकित हो गया। इस प्रकार के कार्य पिछले 19-20 महीने में इस देश में किये गये। अब मैं कहूँगी कि इस देश में महिलाओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है और इस काम को हमें

[श्रीमती गृणल गारे]

करना है। जब तक इस देश की महिलायें पूरी तौर से देश की प्रगति में अपना सहयोग नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे। इस दृष्टि से यह कार्य बहुत जरूरी है। इस चुनाव में महिलाओं ने अपनी यह इच्छा भी व्यक्त की है कि इस देश के सामने जो समस्याएँ हैं उनको वे समझ लेना चाहती हैं और उनको दूर करने में सक्रिय भाग लेकर अपना पूरा सहयोग देना चाहती हैं। हमने महिलाओं की यह इच्छा इस चुनाव में देखी है। हम चाहेंगी कि सरकार इस काम को करे। सरकार को चाहिए कि इस काम में महिलाओं को भी शामिल करे। मैं समझती हूँ इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व घट गया है जिसके लिये मेरे मन में बड़ा अफसोस है। इस कमी को अगर पूरा करना है तो यह आवश्यक होगा कि हर पार्टी की ओर से महिलाओं को ज्यादा जगह दी जायें। इस देश की महिलायें सामाजिक, आर्थिक और राज्य स्तर पर ज्यादा भाग ले सकें। इसको देखना हमारी जिम्मेदारी है।

SHRI K. GOPAL (Karur): According to the Prime Minister, they are good for nothing; that is what the Prime Minister says.

श्रीमती गृणल गारे : मैं यह कह रही हूँ कि महिलाओं का खास हिस्सा है, इस बात को जनता पार्टी जरूर देखेगी। महिलाओं का पूरा सहयोग लेने के लिये सरकार को काम करना चाहिये—यह मैं चाहती हूँ।

जहां तक कुटुम्ब नियोजन का सम्बन्ध है, यह कार्यक्रम बहुत बदनाम हुआ है। एक गैर सांविधानिक शक्ति का निर्माण करने के लिये किसी एक नाम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई और उसको लेकर जिस तरह की ज्यादाती और अत्याचार जनता पर किये गये वह सभी को मालूम है।

फैमिली प्लानिंग का जो कार्य है वह बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है। महिलाओं के विकास के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिये इसका बहुत महत्व है लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर जिस प्रकार की ज्यादाती और अत्याचार किये गए चन्द महीनों में किये गये उसके आगे कई सालों के लिए इस काम में देश को पीछे ढकेल दिया है जिसका हमें बहुत अफसोस है।

मैं ऐसा समझती हूँ कि पहले जो सरकार थी, उस सरकार ने इस में इतना बड़ी गन्ती की है, लोगों पर इतने अत्याचार किये हैं, जिस को लेकर पूरे देश में फैमिली प्लानिंग का काम पीछे ढकेल दिया गया इस के लिये वह सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। जिस सरकार की प्राइम मिनिस्टर महिला हो, उस के कार्य-काल में सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में महिलाओं के विरोध में हवा फेंकने यह बड़े दुख की बात है। हमारी नई सरकार को इस ओर देखना चाहिये और सगरे स्तरों पर, नीचे से लेकर ऊपर तक, महिलाओं का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिये इस के लिये सरकार को आवश्यक कदम उठाना चाहिये। (व्यवधान)...

मुझे मालूम है आप लोग क्या कहना चाहते हैं हमारे प्रधान मंत्री ने कुछ ऐसे उदगार निकाले हैं, जिन के बारे में अखबार में चर्चा है। जो अखबारों में आया है, उन्होंने ऐसा कहा होगा ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। मैं तो मानती हूँ कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जिस प्रकार की कार्यवाही इस देश में की है, पिछले 19 महीनों में जो कुछ हुआ है, उस से देश अपमानित हुआ है—लेकिन एक महिला के काम को लेकर पूरे महिला समाज को बदनाम करना ठीक नहीं है, एक व्यक्ति ने जो कुछ किया है, उस के लिये केवल उस व्यक्ति को जिम्मेदार मानना चाहिये, पूरे महिला समाज को उस के लिए जिम्मेदार नहीं मानना चाहिये। यह बहुत ही महत्व-

पूर्ण बात है—इस देश में आज तक महिलाओं को सही रूप में देश के कार्य में नहीं जोड़ा गया, न सामान्य स्तर पर और न दलित समाज में इस प्रकार का आत्म-विश्वास पैदा हुआ कि हम भी इस देश के लिये कुछ कर सकते हैं। इस तरह का आत्म-विश्वास जगाने का काम आज तक नहीं हुआ। हरिजनों पर भी अत्याचार बढ़ते गये। इस में सन्देह नहीं कि पिछले सालों में हमने कुछ कानून अवश्य बनाये, लेकिन फिर भी अत्याचार कम नहीं हो सके। मैं ऐसा समझती हूँ कि इस के लिये देश में एक प्रकार की भावना पैदा होनी चाहिये कि हमको भी इस देश में कुछ स्थान मिलेगा, इस देश की सामाजिक/प्रक्रिया में हम भी कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार की भावना जगाना बहुत जरूरी है। पिछली सरकार की 30 सालों की खामियां का यह नतीजा है कि ऐसी भावना फैली है—अब उस भावना को दूर करना बहुत जरूरी है।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है—एक ऐसी भावना देश के अन्दर फैली हुई है कि जो भ्रष्ट हैं वे ही आगे बढ़ सकते हैं। जो भ्रष्टाचारी लोग थे, उन को ही समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई इस चीज को सामने रख कर—मैं ऐसा सुझाव देना चाहती हूँ इस के ऊपर अलग अलग जगहों पर जांच कमेटी बँठा कर जो भ्रष्टाचारी है, उन की पूरी जांच और अप्रतिष्ठा समाज में होनी चाहिये। इस प्रकार का काम नई सरकार को करना चाहिये, तभी यह भ्रष्टाचार समाज से खत्म हो सकेगा। आज देश की जनता ने जनता-पार्टी में अपना पूरा विश्वास दिखलाया है, इसलिये हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम इस जांच के काम को तेजी के साथ आगे बढ़ायें ताकि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो सके।

हमारे विरोधी दल की बैंचों पर बैठे हुए सम्माननीय सदस्यों से, विशेषकर विरोधी दल के नेता श्री यशवन्तराव चव्हाण जी से मैं इतना ही कहूंगी कि आप बारबार कह रहे हैं कि जो कुछ हो गया उस को भूल जाइये।

उस को भूल जाये—आप का ऐसा कहना तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने सहन किया है, वे कैसे भूल सकते हैं। हमारी एक कामरेड-स्नेहलता रेड्डी—जो एक बहुत अच्छी कलाकार थीं उन की मृत्यु हो गई, उन के साथ सरकार ने जिस प्रकार का वर्ताव किया उस को न हम कभी/भूलने के लिये तैयार हैं और न इस देश की जनता कभी भूलेगी। मैं कंग्रेस पार्टी के सदस्यों से कहना चाहती हूँ आप भी कृपा कर ऐसी गलतफहमी में न रहें, कि थोड़े दिन बाद जनता उस को भूल जायगी और आप फिर वापस आ कर यहां बैठेंगे इस प्रकार की गलत फहमी में मत रहिये। इन बातों को जब आप ने किया था, तो लोगों का मुह बन्द था और वे बोल नहीं पाए थे अब मुह खुल गया है और लोगों का बोलना भी शुरू हो गया है। 19 महीने में और पिछले 30 साल में जो कुछ हुआ है, उस के बारे में लोगों का बोलना शुरू हुआ है। आप/इस गलत फहमी में न रहिये। जो कुछ हुआ है हम लोग भूलने वाले नहीं हैं और उस की याद हमेशा ताजा रहेगी। मैं तो यह कहूंगी कि आगे आने वाली जो भी सरकार राज्य चलाने वाली है, उस को हमेशा यह याद रखना चाहिये कि इस प्रकार की बातों को जनता ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिये जो कुछ आप ने किया है, उस को हम याद रखना चाहते हैं।

मैं यह भी कह देना चाहती हूँ कि एक व्यापक दृष्टि से और एक नई कल्पना को लेकर समाज में एक नया परिवर्तन लाने के लिये, जय प्रकाश नारायण जी की कल्पना के अनुसार जो एक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए काम चल रहा है, उस में रुकावट डालने की कोशिश न करिये। आप पहले बार बार विरोधी दल के लिये कांस्ट्रक्टिव अपोजीशन की बात करते रहे हैं और अब हम आशा करते हैं कि आप यहां पर कांस्ट्रक्टिव अपोजीशन का रोल भ्रदा करेंगे और जनता पार्टी सरकार की नीतियों का विरोध केवल विरोध के लिए ही नहीं करेंगे।

इतना कह कर मैं समाप्त करती हूँ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री

(**श्री राज नारायण**) : श्रीमन, मुझे अफसोस है कि श्री यशवन्तराव चव्हाण, नेता विरोधी दल, इस समय यहां पर नहीं हैं।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : उन्हें मालूम नहीं था कि आप बोलने जा रहे हैं।

श्री राज नारायण : उन्हें बुलवा लीजिये। मैं इतने धीरे धीरे बोलूंगा। मैं चाहता हूँ कि वे यहां रहे क्योंकि उन के भाषण का मैं ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है। श्री यशवन्तराव चव्हाण जी ने जो कुछ भी भाषण किया है, मैं समझता हूँ कि वह एक बाजारू भाषण था वह लोक सभा में लोक सभा के महत्व को देखते हुए उपयुक्त भाषण नहीं था। उन्होंने इमर्जेंसी लगाई और इमर्जेंसी आगे भी रह सकती थी यदि उन की सरकार रहती। अपने भाषण में उन्होंने उस को सही सिद्ध करने की कोशिश की है। मेरी मान्यता है कि इमर्जेंसी का लागू करना एक राष्ट्रीय कलंक का काम है। इस से बढ़ कर राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय सम्मान राष्ट्रीय गरिमा, राष्ट्रीय महिमा को गिराने का काम दूसरा नहीं हो सकता। इस आन्तरिक सुरक्षा के नाम पर भारत को अपमानित करने का काम जो हुआ था, उस से बढ़ कर अपमानित काम और कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुझे कोई कारण नहीं मालूम होता कि सरकार इमर्जेंसी आन्तरिक सुरक्षा के नाम पर लागू करे। इमर्जेंसी लागू करने का केवल यही एक कारण था।

श्री देवकान्त बरुआ के लिये मुझे अफसोस है कि उन्होंने भी ऐसी बात कही। वे वाणी विश्वविद्यालय की प्रोडक्ट हैं, जिस के संस्थापक महामना मालवीय जी थे। वे उसी विश्वविद्यालय के हैं जहां के हम सब लोग हैं। वहां से उत्पन्न होने वाले श्री देवकान्त बरुआ वह कहे कि

India is Indira and Indira is India

इन्दिरा भारत है और भारत इन्दिरा है, इस से बढ़ कर अधिनायकवाद क्या होगा।

SHRI VASANT SATHE: Janata Party is JP and JP is Janata Party.

श्री राज नारायण : जे० पी० जनता पार्टी के नेता हैं। मैंने अपने मुखारबिन्द से ऐसे शब्द कभी नहीं निकाले। ऐसे शब्द निकल सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी के मुख से ही निकल सकते हैं। जनता पार्टी जानती है कि जनतंत्र क्या है। जनता पार्टी जानती है कि अधिनायकशाही क्या है। यह तो परस्पर विरोधी विचारधाराओं का टकराव है। (व्यवधान) इस ढंग से बीच में खड़े होकर बोलना अनावश्यक है, बेमतलब है और इस तरह से बोलने से कांग्रेस की बदनामी होगी। नर्क कुंड के गंदे कीड़े ने कांग्रेस पार्टी के दिमाग को चाट कर चटनी तो पहले ही कर दिया है इसलिए इस तरह के शब्दों को वह जनता पार्टी के लिए लागू कर रही है।

जे० पी० का नाम लिया गया। क्या जे० पी० और श्रीमती इन्दिरा गांधी की तुलना हो सकती है जे० पी० और इंदिरा गांधी की तुलना नहीं हो सकती। कहां जे० पी० कहां इंदिरा गांधी। जे पी० वह इन्सान है जिसके अन्दर तूफान और आंधी है। जिसने इन चीजों को देश के अन्दर पैदा करके इंदिरा सरकार को उलट पुलट कर दिया। इतना करने पर भी आपको शर्म नहीं आती कि जनता पार्टी और जे० पी० की बात करें। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ (व्यवधान)

.....

श्री बसन्त साठे: आप यह मत समझ लीजिए (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम राज नारायण जी की इज्जत करते हैं, सभी लोग इज्जत करते हैं। कृपया आप अपने मुखारबिन्द से गलत लफ्ज मत निकालिए। (व्यवधान) धन्य है प्रभु, ऐसे ऐसे लोग आपके साथ आए हैं। अध्यक्ष

महोदय, राजनारायण जी का आपको स्वयं राज्य सभा का अनुभव है। उनके बारे में मुझे कोई नई बात बताने की जरूरत नहीं है। अब वह मंत्री हैं। अभी आपने अपने मुखार-बिन्द से जो शब्द निकाले हैं, मेहरबानी करके ऐसे शब्द न निकालें। आपके लिए हमने कोई गलत लफ्ज नहीं निकाले हैं, न निकालेंगे। आप हमें गाली दे दें और हम चुपचाप बैठ रहें। मेहरबानी करके ऐसा मत करिये।

श्री राज नारायण : मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि यह हमारा आदर्श है कि माननीय सदस्य खड़े हुए और बैठ मैं गया। हमने आपको बोलने का पूरा मौका दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप नहीं बोल सकते थे। चेन्नई में साहब भी आपको नियम के मुताबिक बोलने नहीं देते। यह हमारी जन-तंत्रीय परम्परा है। मगर मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे साफ शब्दों को कोई गाली समझ ले जबकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। अगर आप ऐसा समझेंगे तो इसका भी हमें इलाज करना पड़ेगा। जब मैं यह कहता हूँ कि "यह शर्म की बात है" तो यह गाली नहीं है। मेरी भी कोई ऐसी बात हो सकती है जो शर्म की हो सकती है। यह गाली नहीं है।

श्री बसन्त साठे : आपने कहा कि आपको शर्म नहीं आती है।

श्री राज नारायण : अगर मैं यह भी कहूँ कि शर्म आनी चाहिए, या शर्म नहीं आती है तो यह भी गाली नहीं है।

अब मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य जरा शान्त चित्त से मेरी बात को सुनें। मैं समझता हूँ कि एमरजेंसी को लागू करके इस देश को अपमानित किया गया है, पद-दलित किया गया है, हमारे गौरव, गरिमा, महिमा, संस्कृति को गिराया गया है और दुनिया में जो भारत की एक शान और मर्यादा

था कि चाहे भारत गरीब है। चाहे भोजन के लोग अंधपेट खाते हैं, एक जून भोजन करते हैं लेकिन भारत में जनतंत्र है, बोलने की आजादी है, अखबारों की स्वतन्त्रता है, न्याय विभाग की स्वतंत्रता है, इस सब को कत्ल किया गया और कांग्रेस सरकार ने दुनिया में हमको बदनाम किया। हमारे पास अनेकों पत्र विदेशों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके आए हैं। इन में उन्होंने कहा कि हम लोगों की जो एक शान थी, हम लोग जो सीना तान कर चलते थे कि हम गरीब हैं, लेकिन हम कहते थे कि हमें बोलने की आजादी है, विचार अभिव्यक्त करने की आजादी है, चलने फिरने की आजादी है, संगठन बनाने की आजादी है, अहिंसक ढंग से हम जा कुछ चाह कर सकते हैं, इसकी आजादी है इन तमाम हमारी आजादियों को भूतपूर्व सरकार इतना मर्यादा एमरजेंसी को लागू करके समाप्त किया, स्थगित कर दिया, नागरिक स्वतन्त्रताओं को खत्म कर दिया, मौलिक अधिकारों का अपहरण कर लिया। अब इसको क्या कहा जाए? क्या इसकी तारीफ की जाए?

अठारह महीने तक एक ही नेता, एक ही पार्टी रही। तमाम रेडियो, टेलीविजन आदि पर एक यही बात सुनने को मिलती थी। कभी कभी तो मन में आता था कि रेडियो को पटक कर फेंक दें। सुनते सुनते कान पक गए थे, इंदिरा जी का बयान, बरुआ जी का बयान

एक माननीय सदस्य : संजय भी।

श्री राज नारायण : वह तो आपात्-कालीन स्थिति की उपलब्धि है।

इंदिरा जी को मैंने चिट्ठी लिखी। मैं चाहता हूँ कि उसको पढ़वा दिया जाए। मैंने लिखा था कि इंदिरा जी अन्तर्मुखी बनें आजकल वह बहिर्मुखी बन रही हैं। एक बात की हमें जरूर प्रसन्नता है। इंदिरा जी ने

[श्री राज नरायण]

भारतीय संस्कृति का भी नाम लेना शुरू कर दिया था। गांधी जी का नाम भी लेना शुरू कर दिया था, कहना शुरू कर दिया था कि मैं पश्चिमी जनतंत्र की पद्धति को बिल्कुल फालो नहीं करूंगी, हमारी जनतंत्रीय पद्धति अपनी है, हम भारतीय संस्कृति के अनुसार जनतंत्रीय पद्धति को चला रहे हैं। इस पर मुझे विचार आया कि मुझे भारतीय संस्कृति को फिर से पढ़ना चाहिए। उन्होंने हमको बाध्य कर दिया कि मैं फिर एक मर्तब वेद, उपनिषद, पुराण शास्त्र, महाभारत रामायण आदि पढ़ डालूँ। पढ़ कर मैंने उनको पूरा पूरा लिख दिया कि मुझे अभिमान है कि मैं भारत में पैदा हुआ और आप भी मानती हैं कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसने दुनिया को जनतंत्र दिया है, यह भारत की ही दुनिया को समानता और और स्वतंत्रता की देन है। मैं उदाहरण देता हूँ। महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। पांडव गए और पूछ कि दुर्योधन मरा या नहीं। भीम ने कहा कि हमने 99 भाइयों को मार दिया है लेकिन यह नहीं देखा कि दुर्योधन मरा है या नहीं। कुन्ती ने कहा कि पता लगाओ सहदेव पंडित कि मरा है या नहीं। सहदेव ने कहा कि नहीं मरा है। फिर पांचों भाई कृष्ण के साथ खोजने चले गए। एक बहेलिये ने कहा कि एक आदमी जा रहा था कोई बहुत बड़ा मुकुट धारी और इन लोगों ने समझा वही होगा। बे गए और जाकर देखते हैं कि सुधा सागर में पानी के नीचे मुकुट चमक रहा है। भीम ललकारता है, काहे नपुंसक हिजड़े तुम तमाम भाइयों को कत्ल करा करके यहां लक्ष्मी के पास आ कर के सुधा सागर में छिप गए हो। वह बहादुर था लेकिन पाजी था। निकल पड़ा। लक्ष्मी ने पांव पकड़ लिया। फिर भीम ने ललकारा। वह फिर निकला। फिर लक्ष्मी ने पांव पकड़ा। फिर उस समय रुक गया। बाद में भीम ने ललकारा

और वह निकल पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि भारत की राजनीति में, भारत की धर्म नीति में, भारत के सम ज शास्त्र में हूँ भारतीय नागरिक को फिर चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, ब्राह्मण, बनिया कोई भी, हो इस तथ्य को अपने हृदय में रख लेना चाहिये।

धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा दुर्योधन तुम अकेले हो और हम पांच है इसलिये यह लड़ाई बेजोड़ है। तुम हमारे पांच सदस्यों में से कौन्हीं दो को चुन लो। तीन-तीन की बराबर की लड़ाई हो। लड़ाई बराबर की होनी चाहिये धर्मराज युधिष्ठिर के भुखारबिन्द से निकले हुए यह साधु शब्द है। इस से समानता की बात समझ लीजिये। अब दुर्योधन को देखिये, क्यों कि उस की बुद्धि कुटिल थी, वह कहता है कि महाराज अगर मैं अर्जुन और भीम इन दो को चुनूँ तब आप क्या कहेंगे। उस ने कहा चुन लो। तुम ले लो अर्जुन और भीम को और तेरी और से वह खूबजम कर लड़ाई लड़ें, और वह लड़ेंगे। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी जीत होगी अर्जुन और भीम की ताकत और बल पर। मैं सत्य पर हूँ, हक पर हूँ, इन्साफ पर हूँ, न्याय पर हूँ, इसलिये हमारी जीत होगी। हमारी जीत केवल अर्जुन और भीम के बल पर नहीं होगी। इसलिये मैं कहता हूँ कि जनता पार्टी सत्य पर है, हक पर है, इन्साफ और न्याय पर है। इस की जीत हुई और होगी, इस का कोई बाल बांका नहीं कर सकता।

नेता विरोधी दल कहते हैं कि लोहिया जी के विचार कैसे जनसंघ से मिलेंगे? लोहिया जी के जो चेले रहे हैं, समर्थक रहे हैं उनका कैसे जनसंघ से मेल होगा। भाई आप क्यों दृबले हो रहे हो, मैं आप को बता दूँ कि हमारी तरफ कहावत है भोजपुरी में कि अघजल गमरी छलकत जाय। जो गमरी आधी भरी होती है वह बहुत छलकती है।

Little knowledge is a dangerous thing.

तो डा० लोहिया को पढ़ो, उन को जरा समझने की क्षमता पैदा करो। 1962 में चीन के हमले के बाद से डा० लोहिया ने अनेक बार प्रयत्न किया है कि सभी विरोधी दल एक हो जायें। डा० लोहिया ने यह भी कहा है कि जनसंघ है, सोशलिस्ट पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी है और जितनी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां एक हों जायें और एक महाराक्षस जो कांग्रेस पार्टी है उस को सत्ता से हटाने के लिये यह पार्टियां एक हों जायें। यह बात उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार बही है। 1967 में जो डा० लोहिया ने लेख लिखा उस को पढ़ो। डा० लोहिया एक दूरदेशी थे, एक कुशल योग्य, कर्मठ नेता थे। और नेता में केवल तीन को ही मानता हूँ—एक सुभाष, एक गांधी और एक डा० लोहिया।

एक माननीय सदस्य : जयप्रकाश जी नहीं।

श्री राज नारायण : अभी वह जीवित है। डा० लोहिया की किताब को पढ़ेंगे तो उन्होंने लिख दिया है कि पांच वर्ष के बाद कांग्रेस टूटेगी। कांग्रेस के टूटने के बाद थोड़ा समय कुछ घपले का चलेगा। उस के बाद फिर समतल घरातल आयेगा और फिर जनता का राज्य कायम होगा। डा० लोहिया की भविष्यवाणी सोलह आने सही हो गई।

और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, श्री चव्हाण साहब या उन के भाई जो यहां पर हों वह इस बात को समझ लें कि कृष्ण का जन्म हुआ जेल में। यह भी हमने लिख दिया है सरकार को। कंस को पता नहीं चला कि हमारी हन के पेट से पैदा होने वाला कृष्ण हमारा नाश करेगा। जनता पार्टी का जन्म जेल में हो गया। इन्दिरा जी को पता नहीं चल पाया कि जनता पार्टी उनका नाश कर देगी।

कांग्रेस राज्य में यह हमारा 58वीं बार जेल जाना था। 30 साल की आजादी में

करीब 14, 15 बार जेल गये और अंग्रेजी राज्य में 4 बार 4 साल गये। अब यह न समझिये कि यह केवल एकाएक हो गया—हमने लात खाई, डंडे खाये, जूते खाये, हमें मारा गया, पीता गया, घसीटा गया और जुर्माना किया गया। जितने मित्त यहां बैठे हैं, सब जानत हैं। यह तमाम फासिस्ट पार्टी जो कांग्रेस में बस गई, उन शक्तियों का कुकर्म हम लोग भोग चुके हैं। इसलिये इन तमाम बातों में जाकर के हम नहीं पड़ना चाहते।

श्री बसंत साठे : मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आपने क्या कहा? क्या यह कहा कि ये तमाम लोग खस्सी किये गये?

श्री राज नारायण : हमने कहा कि घसीटे गये, मारे गये, पीटे गये। इनको किसी ने बता दिया है कि बीच बीच में टोकिये जरूर।

फिर हमने इन्दिरा जी को लिखा कि इन्दिरा जी, आप रामायण को भी पढ़िये भारतीय संस्कृति देखिये। भारतीय संस्कृति में श्री राम चन्द्र जी एक दिन रात को घोड़े पर जाते हैं, 4, 6 आदमी एक जगह बैठे हैं और यह कह रहे हैं कि हमारा राजा कितना अच्छा है—

दैहिक दैविक भौतिक तापा,
राम राज्य काहू नहि व्यापा।

राम के राज्य में कोई किसी से बैर करता ही नहीं, क्योंकि वहां विषमता थी ही नहीं, मगर इतने पर भी एक ने कहा कि—साल भर तक सीता लंका में थी, राम ने उनको अपने पास रखकर अच्छा काम नहीं किया। यह राम ने अपने कान से सुना। तुलसी की रामायण में नहीं मिलेगा, लेकिन 10, 5 और में जरूर यह मिल जायेगा।

[श्री राज नारायण]

इसके लिये राम रात भर जागते रहे श्रीर सोचते रहे। मैं उनका तर्क आपको बताता हूँ। उन्होंने यह तर्क किया कि मैं राजा हूँ, राजा का कर्त्तव्य होता है कि प्रजा का रंजन करना। जिस राजा के कर्म से प्रजा का रंजन न हो, वह राजा नहीं है। फिर उन्होंने यह कहा कि मैं जानता हूँ कि सीता निर्दोष है, प्राणप्यारी है, फिर भी अगर प्रजा के मन में हमारे प्रति शंका है तो मैं सीता को त्याग कर दूंगा, मगर प्रजा का साथ दूंगा और प्रजा के मन में अपने प्रति तनिक भी शंका नहीं रहने दूंगा।

मैं पूछना चाहता हूँ आज उस दल से जिसका नाम है, कांग्रेस और जो हम से पहले सत्ताधारी दल था कि एक तरफ हाई कोर्ट कहता है कि श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी ने अपना जो बयान दिया है वह अन-टू है, असत्य है, इन्दिरा नेहरू गांधी जो बोलती हैं, वह झूठ है।

SHRI B. P. KADAM (Canara): Sir, may I rise on a point of order?

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is your point of order?

SHRI B. P. KADAM: Under the Rules of Procedure, the hon. Minister's defence should have been for the Government's policy here.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is your point of order?

SHRI B. P. KADAM: My point of order is that the hon. Minister is here defending something else.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order. Let the hon. Minister continue.

श्री राज नारायण : एक हाई कोर्ट भूतपूर्व प्रधान मंत्री के बारे में लिखता है कि उन्होंने अपने चुनाव में सरकारी सवारियों का इस्तेमाल किया, उन्होंने पुलिस सुपरिन्टेंडेंट,

हाइडल इंजीनियरों, सरकारी कर्मचारियों और अपने सचिवालय के यशपाल कपूर से काम लिया, इसलिए उन के चुनाव को रद्द किया जाता है और उनको छः साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाता है। क्या आप समझते हैं कि इतना होने के बाद भी इस मुल्क की साठ करोड़ जनता ऐसे व्यक्ति को वोट दे सकती है, या उस पार्टी को वोट दे सकती है, जिसका प्रधान इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा असत्य साबित हो चुका है? इसलिए जनता ने उस पर ठोकर मारी। सारे उत्तर भारत में, सारे हिन्दी-स्पीकिंग एरिया में, उसका सफाया हो गया। इस पर खोज होगी।

इसीलिए 25 तारीख को इमर्जेंसी लगी। 23 तारीख को यहां मीटिंग थी, लेकिन उस दिन जो जहाज पटना से आ रहा था, उसको पटना से आने नहीं दिया गया। श्री जयप्रकाश नारायण ने टेलीफोन किया कि जहाज न आने की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया, क्या 25 तारीख को मीटिंग हो सकती है। हमने कहा कि आप आ जाइये, मीटिंग हो जायेगी। आठ, दस लाख लोगों की मीटिंग हुई। श्री जयप्रकाश नारायण ने प्रस्ताव रख और उस प्रस्ताव को पारित कर के जनता ने सर्वसम्मति से इन्दिराजी से त्यागपत्र मांगा। इस प्रकार इन्दिराजी की गद्दी पर खतरा आ गया। दिल्ली, बनारस, पटना से, जहां भी मैं जाता था, पब्लिक इन्दिराजी से इस्तीफा मांगती थी। सारे देश में हवां बह गई कि इन्दिराजी इस्तीफा दें। इस्तीफा न देने का एकमात्र उपाय इन्दिराजी ने यह सोचा कि इमर्जेंसी लगा कर सब नेताओं को जेल में ठूस दो।

मुझे मालूम है कि इन्दिराजी के पास विदेशों के कितने बड़े बड़े नेताओं के पत्र आये कि क्या भारत की आजादी का यही गुण और यही स्वभाव है कि श्री जयप्रकाश नारायण जैसे नेता को, जिस ने आजादी के लिए अपने

जीवन को खपाया, और उस के साथियों को, जेल में रखा जाए। इसके औचित्य को अभी भी श्री चव्हाण सिद्ध करने की कोशिश करते हैं।

श्री जयप्रकाश नारायण के गुर्दे में पहले कोई शिकायत नहीं थी। चंडीगढ़ में उनको जिस तरह से रखा गया था, उसी का यह नतीजा था। तिहाड़ जेल से मैंने चिट्ठी लिखी कि श्री जयप्रकाश नारायण का मुंह और पांव सूज गए हैं, या तो हम लोगों में से किसी को वहां भेजा जाए, ताकि पता लगे कि उनकी तबीयत कैसी है, या किसी बड़े डाक्टर का सर्टिफिकेट दिखाया जाए। इस संबंध में मैंने बी० डी० टंडन का नाम लिया।

इसके दूसरे दिन मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। लिख दिया गया कि राज नारायण का तिहाड़ जेल में रहना खतरे से खाली नहीं है, हरियाणा सरकार ने उनको अपने यहां रखना कुबूल कर लिया है, इसलिये उनको हिसार जेल में भेज दिया गया है।

राम ने किसी के कहने पर प्रजा का रंजन करने के लिए सीता का त्याग किया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अपनी गद्दी को बचाने के लिए इन्दिरा जी ने हम को जेल में भेज दिया। अगर राम चाहते, तो वह पांच सात आदमियों को कत्ल करवा सकते थे, या उनको जेल में भेज सकते थे। लेकिन राम ने वह रास्ता अख्तियार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं सीता का त्याग करूंगा, लेकिन प्रजा का रंजन करूंगा।

कुछ नेता सोचते थे कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो देश में तूफान मच जायगा। हमारे साथी जानते हैं इस बात को। सन् 42 के आंदोलन में लार्ड एमरी ने 19 प्वाइंट प्रोग्राम निकाला था। उससे लोगों ने पूछा कि गांधी को क्यों गिरफ्तार किया तो उसने कहा कि यह पुल तोड़ना चाहता था, जेल का फाटक

तोड़ना चाहता था, रेल की पटरी उखाड़ना चाहता था। हम लोगों ने कहा कि चलो जब गांधी यही करना चाहते थे तो हम लोग कर ही डालेंगे। तो एकदम से तमाम साम्राज्यवाद की सारी टांगों को हमने चूर चूर कर दिया। सन् 42 में रेलें उखाड़ी, जेल के फाटक तोड़े, पटरियां तोड़ी। श्री राधाकृष्णन् जी जो हमारे आदरणीय राष्ट्रपति थे, उस समय हम लोगों के गुरु थे। हमने हाथ जोड़ लिया कि गुरु जी, अब गीता का नेकचर मत करिए, कुरुक्षेत्र का मैदान आ गया है। 9 अगस्त, सन् 42, इतवार का दिन था, देख लीजिएगा। तो जो लोग यह सब काम कर चुके हैं उन्हीं लोगों के लोग बाहर थे। क्या कहीं एक खम्भा गिरा? कहीं एक बल्ब फूटा, कहीं एक पत्थर का टुकड़ा चला? क्यों नहीं चला? क्या इन्दिरा जी का डर था या यशवन्त राव चव्हाण का डर था? नहीं, यह शिक्षा थी जय प्रकाश जी की, यह शिक्षा थी मोरारजी भाई की, यह शिक्षा थी हम लोगों की, यह शिक्षा थी चौधरी चरण सिंह की कि अगर तनिक भी हिंसा की कार्यवाही होगी तो हम सत्याग्रह स्थगित कर देंगे। इसलिए हमने सरकार की सारी ज्यादतियां बर्दाश्त की मगर तनिक भी हमारी ओर से हिंसात्मक कार्यवाही नहीं हुई। सरकार की ओर से उत्तेजना दी गई। मगर हमने हिंसात्मक कार्यवाही नहीं की। फिर भी अगर हमारे लिए चव्हाण साहब ऐसी कुछ बात कहें तो हमको बड़ा दुख होता है। हमारी तरफ भोजपुरी में एक कहावत है कि—आन क जन्मल लड़िका पउली 19 कहावत बाटी—यानी दूसरे का पैदा किया हुआ लड़का पाकर बाप कहने में बड़ा मजा मिल रहा है। यशवन्त राव चव्हाण ने भारत की आजादी प्राप्त करने में जितनी कमाई की, जितनी लड़ाई की, जितना त्याग किया उससे कम हम ने नहीं किया। किया होगा ज्यादा, लेकिन हम ज्यादा नहीं कहते। हम शिष्ट भाषा में कहते हैं कि उससे कम नहीं किया। फिर भी आप जय प्रकाश जी और इन्दिरा जी की तुलना करते हैं? कोई जेल का सर्टिफिकेट

[श्री राज नारायण]

है कि इन्दिरा जी कितने दिन जेल में रहें ? हमको जेल का सर्टिफिकेट दिखाया जाय कि इन्दिरा जी सन् 42 के आंदोलन में कितने समय तक जेल में रहें ? जब उनको प्रमाण पत्र दिया गया है तो क्या बयान हमें जेल में पढ़ने को मिला कि घर-सचिव उत्तर प्रदेश ने सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इन्डिया, लाड एमरी को चिट्ठी लिखी कि इन्दिरा जी को 6 महीने का वारंट जारी किया गया है । लिखी होगी चिट्ठी लेकिन 6 महीने का वारंट जारी करने का यह मतलब नहीं कि वह 6 महीने जेल में थीं । इसका यह मतलब नहीं कि वह गिरफ्तार होकर 6 महीने तक जेल में थीं । हम लोगों से मांगा जाता है सर्टिफिकेट । जो सर्टिफिकेट हमें और हमारे भाई को मिला हुआ है उसमें किस तारीख को जेल गए और किस तारीख को छूटे यह सब लिखा हुआ है ।

एक माननीय सदस्य : उन्हें भी लिखा है है कि वह दादा जी की गोद में गईं ।

श्री राज नारायण : यही लिखा है न कि वह दादा जी की गोद में गईं ? पहले यह था कि जो कम से कम 6 महीने जेल काटा हो...

एक माननीय सदस्य : अब भी है ।

श्री राज नारायण : अगर अब भी है वही तो देखा जाना चाहिए कि क्या सही में इन्दिरा जी 6 महीने जेल में थीं या नहीं । कुछ नए सदस्य यहां आते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब इन्दिरा जी के मंत्रिमंडल के बहुत से मंत्री और प्रधान मंत्री विदेशों में मौजूद और मस्ती की जिन्दगी व्यतीत कर रही थीं तब जय प्रकाश जी हजारीबाग जेल की चहारदिवारी फां : कर बाहर आए थे और आंति की बुझती हुई चिन्गारी में अग्नि प्रज्वलित की थी । फिर भी जय प्रकाश जी को इन्दिरा जी की तुलना में लाते हैं ? एक प्रतीक है योग का, एक प्रतीक है भोग का । योग और भोग को एक में मत जोड़ो ।

आप गांधी जी को सुनिये । यह उनकी आत्मकथा है । तारीख है 10 फरवरी, 1943 । गांधी जी कहते हैं :

“मेरी तो मान्यता है कि गुप्त नीति की जड़ में ही हिंसा है इसलिए छिपकर बुलेटिन निकालना भी हिंसा है । मेरी मांग है कि कानून में अहिंसात्मक विरोध को स्थान होना चाहिए ।”

गांधी जी कहते हैं कि मेरी मांग है कि कानून में अहिंसात्मक विरोध को स्थान होना चाहिए । इसलिए क्या इन्दिरा सरकार को व्यवस्थित हिंसा का नाम नहीं दिया जा सकता ? मजे में दिया जा सकता है । फिर भी क्या चव्हाण साहब हमको पढ़ायेंगे बूढ़ सुग्गा राम राम ? क्या मजाक है ?

अब मैं चाहता हूं कि हमारे कुछ मित्रों के जो बयानात हुए हैं उनके बारे में कुछ कहूं । फेमिली प्लानिंग के बारे में मैं ने पहले ही कह दिया फेमिली प्लानिंग बदनाम हो गई है । इस नाम को हटाना चाहिए । इस सम्बन्ध में सरकार विचार भी कर रही है और उसका कोई अच्छा सा नाम ढूंढा जा रहा है ।

श्री बसन्त साठे : किस को हटायेंगे, फेमिली को या प्लानिंग को ?

श्री राज नारायण : फेमिली का तो हटा-येगी कांग्रेस, हटाने की कोशिश भी की लेकिन फेमिली ने उसको ही हटा दिया ।

मैं सीधे सीधे बोल दूं कि परिवार सुनियोजित हो यह मैं चाहता हूं । मैं इसके पक्ष में हूं और मेरा दल इसके पक्ष में है लेकिन परिवार का सुनियोजन और जबर्दस्ती नसबन्दी, इनसान को हैवान बनाना—यह दोनों परस्पर विरोधी चीजे हैं । दोनों चीजें एक नहीं हैं । इन्दिरा जी की सरकार ने फेमिली प्लानिंग में, परिवार नियोजन में जबर्दस्ती नसबन्दी की है । इन्दिरा सरकार की ओर से डा० कर्णसिंह जो

तर्क देते हैं वह असत्य है। हम हिसार जेल में थे हमने देखा एक एक रात में सौ सौ आदमी गिर-फ्तार होकर आये। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती थी, जो सवारियां उतरती थीं उनको जबर्दस्ती पकड़ कर ले जाते थे और एकदम नसबन्दी करके फेंक देते थे। यह हालत थी। शादी हुई नहीं लेकिन उसकी नसबन्दी हो गई। बच्चा एक नहीं लेकिन उसकी नसबन्दी हो गई। 80-90 वर्ष के बूढ़ों की नसबन्दी हो गई। इसीलिए हम फेमिली प्लानिंग की बात को हटाना चाहते हैं।

आप जनतन्त्र की बात कहते हैं। यह फेडरल स्टेट है और राज्य सरकारों के भी कुछ अधिकार और कर्तव्य हैं। आपात कालीन स्थिति की उपलब्धि संजय गांधी हैं। संजय गांधी बन गए तहसीलदार और हर राज्य के मुख्य मंत्री बना दिये गये चपरासी। वे चपरासी की तरह तहसीलदार के पीछे धूमें। दक्षिण भारत में कांग्रेस को कहीं कहीं थोड़ी सीटें मिल गई (व्यवधान), संजय के दौरे वहां नहीं हुए। अगर संजय वहां गया होता तो उसका भी मजा आपको मिल जाता।

15.00 hrs.

मजदूरों के सम्बन्ध में यहां पर बहुत सी बातें कही गई हैं—मैं इतना ही कहना चाहता हूं हमारे घोषणा पत्र में मजदूरों के सम्बन्ध में जो वायदे किये गये हैं, हमारी सरकार उन वायदों को पूरा करने के लिये सतत् प्रयत्नशील है। हमारे श्रम मंत्री रविन्द्र भाई का बयान अभी आप ने सुना होगा। ये नये नहीं हैं, स्टूडेंट फेडरेशन में हमारे साथी थे और उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इन को अच्छी तरह जानते हैं। मजदूरों से किये गये वायदों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है :—

1. एमर्जेन्सी के दौरान औद्योगिक सम्बन्धों के पुराने ढांचे को तोड़ कर जो नया मजदूर विरोधी और अप्रजातन्त्रिक ढांचा पहली सरकार द्वारा लादा गया है, उसे समूल समाप्त करने का प्रयत्न हमारी ओर से करने की व्यवस्था हो

रही है। इसके अन्तर्गत जो एपेक्स बाडीज और विभिन्न उद्योगों में बाई पार्टाइट कमेटीज पिछली सरकार द्वारा बनाई गई है उन्हें तुरन्त समाप्त किये जाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि वे सभी नकली प्रतिनिधियों से भरी पड़ी हैं।

2. बिना देर किये सही मजदूर प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जाना चाहिये कि अब किस प्रकार औद्योगिक सम्बन्धों को नियमित किया जाय, जिस से सामाजिक न्याय सब को उपलब्ध हो सके।

3. मजदूरों ने जनता पार्टी को जिस जोश से अपना पूरा समर्थन दिया है और जिस प्रकार आज मजदूर सरकार को अपना पूर्ण समर्थन देने को उत्सुक है, उस को देखते हुए इस अवसर का उपयोग औद्योगिक शान्ति को स्थायी बनाने के लिये करना चाहिये और उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके ऐसे राष्ट्रीय समझौते का प्रयत्न करना चाहिए जिस से मजदूरों को न्याय और देश को औद्योगिक शान्ति मिल सके। यह विश्वास है कि जनता सरकार को मदद करने के लिये मजदूर वर्ग हर तरह से तैयार है और इस के लिये जिस त्याग की आवश्यकता है उस में अपना न्यायोचित भाग देने से पीछे नहीं हटेगा।

4. सरकार का यह प्रयत्न है कि औद्योगिक विकास, औद्योगिक सम्बन्ध, श्रमिक एकता, वेतन मूल्य सामंजस्य, आदि पर मजदूरों के सहयोग से ही राष्ट्रीय नीति का निर्माण हो और इन सब कामों में अब किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिये—यह हमारी सरकार नीति है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं—मुझे अफसोस है कि अभी तक श्री यशवन्त राव चव्हाण यहां नहीं आये हैं। हम चाहते थे कि वे मेरी कुछ बातों का जवाब देते। वह मेरी इस बात को जानते हैं कि जय मुख् प्रवक्ता

[श्री राजा नारायण]

मेरे सामने होता है तो उस की शकल को देखते ही मुझे जोश आ जाता है और फिर मेरी जिहवा पर सरस्वती आ जाती है, अपने आप आ जाती है। इसी लिये चव्हाण साहब यहां नहीं आये। मैं पूछना चाहता हूँ—क्या इन्दिरा सरकार जनतन्त्र का अर्थ सया अलिफ वे पे या ए बा री जानती थी? कतई नहीं जानती थी। जनतन्त्र केवल एक शब्द है, समाजवाद केवल एक शब्द है और जनतन्त्र समाजवाद का आचरण है, व्यवहार है, कर्म है। तो इन्दिरा जी ने बढ़ कर इस का दुश्मन कोई नहीं था—इस बात को जनता मुक्त कंठ से कह रही है। क्या आज मैं इस अवसर पर इस बात को कह सकता हूँ कि किस प्रकार से कमलापति त्रिपाठी को सरकार को गिराया गया, किस प्रकार से वहां पर एक तारतम्य पी० ए० सी और पुनिम विद्रोह से जोड़ा गया। वह पी० ए० सी० का विद्रोह नहीं था, वह सरकार की ओर से एक साजिश थी—कमलापति को हटाने की। कमलापति हटे, फिर हमारे भाई को वहां भेजा गया, उस के बाद हमारे भाई को हटा कर नारयण दत्त तिवारी आये और फिर उन की दृष्टियत एक चपरासी की बना दी गई। आप जानते हैं संजय गांधी तहमीनदार हो गये और वह चपरासी बन गये—यह जनतन्त्र है। हमारे सामने वाले मित्रों ने कुछ थोड़ा समाजवाद जरूर पढ़ा होगा—वतलाइय, क्या यही समाजवाद है? हमारे लिये जनतन्त्र और सोशलिज्म दोनों पर्यायवाची शब्द है। बिना जनतन्त्र के समाजवाद नहीं और बिना समाजवाद के जनतन्त्र नहीं। उपनिषद् में कहा है—

समम् अजान्ति जनाः अस्मिन् समाजः

जहां जन-जन में समता का व्यवहार हो, वह समाज है।

समतया आजः प्रकाशः यस्यः

समता के द्वारा प्रकाशित हो, वह समाज है। जहां विषमता है वह समाज नहीं है। क्या भूतपूर्व सत्ताधारी दल बता सकता है कि तीस साल के शासन में समता की ओर इतने के लिये कोई प्रगति हुई है।

आप यह देखिये कि आज देश का जनता के एक छोटे से वर्ग के पास समूची राष्ट्रीय आय का 14 प्रतिशत है और इतने पैसे पर देश की 7 प्रतिशत जनता जीवन निर्वाह करती है। यह है 30 वर्ष की योजना का नतीजा भूतपूर्व सरकार का, सर्वे आफ इन्डिया की रपट के मुताबिक। यह सब मेरा जेल का अध्ययन है। 47 हजार बन्धुआ मजदूर इमर्जेन्सी में मुक्त किये, बड़ा ढंडोरा पीटा गया दुनिया में बड़ा ढंडोरा पीटा गया किन्तु जून 12, 1976 की "मैनस्ट्रीम" पत्रिका में यह निकला है कि बांदा जिला के 60 प्रतिशत बन्धुआ मजदूर अपने पुराने मालिकों के यहां लौट गये। क्यों लौट गये? भूतपूर्व सरकार इसका जवाब दे। इसलिए मेरा कहना यह है कि केवल प्रोपेगेंडा के लिए ही यह प्रचार है। जिस तरह का दुरुपयोग, नाजायज इस्तेमाल रेडियो और टेलीवीजन का हुआ, इस तरह से कोई जनतंत्री सरकार कर नहीं सकती।

पांचवीं योजना की लागत व्यय में प्राइवेट सेक्टर के शेयर को देखिये। उसमें निर्धारित पूंजी 161 अरब रुपये से बढ़ा कर 270 अरब रुपये कर दी गई। यह प्राइवेट पूंजी में 68.7 प्रतिशत की वृद्धि क्यों की गई? प्राइवेट सेक्टर में यह वृद्धि क्यों की गई? क्या यह समाजवाद है, जनतंत्र है? यह चौहानवाद है, इन्दिरावाद है। क्या बेमतलब की बात करते हैं? प्राइवेट सेक्टर में यह वृद्धि क्या इसलिए की गई कि चुनाव में पैसा मिल जाए। कांग्रेस सरकार अब तक क्या करती रही

है ? यह करोड़पतियों से नोट लेती रही और उस से खरीदती रही है गरीबों के वोट और फिर गरीबों के वोटों से करोड़पतियों के नोटों की हिफाजत करती रही है। अब की गरीब ने कहा कि ठीक है करोड़पतियों से लो नोट, मगर वोट तुम को नहीं मिलेगा। उस नोट की हिफाजत के लिए मैं क्या बताऊँ, आप जानते ही हैं और इस को कहने की जरूरत नहीं मगर कुछ जानना है तो रायबरेली में जा कर पता लगाए कि वहाँ पर चुनाव से तीन दिन पहले क्या हुआ। हमारे घर मंत्री या सरकार चाहे तो इस पर जांच बैठा ले कि वहाँ पर सरकारी स्तर पर क्या क्या जुल्म हुए हैं और कितना पैसा लोगों को बांटा गया है वोट लेने के लिए। किस तरह से हमारे एजेण्टों को पैसा दे कर तोड़ने की कोशिश की गई और किस तरह से अफसरों को मिलाने की कोशिश की गई ? काउन्टिंग के दिन धावन साहब को वहाँ पर फोन जाता है, दो दो बार फोन गया लेकिन जब मैं यहाँ पर पहली बार बोल रहा हूँ तो वहाँ के जिलाधीश को इस बात के लिए मुबारकबाद दिये बिना नहीं रह सकता कि जिलाधीश से जब एगो पी० ने कहा कि दिल्ली से ट्रंक काल आया है, तो उस ने कहा :

"Now I am sitting in the court. After delivering the judgment, I will come."

उसने कहा कि मैं कोर्ट में बैठा हुआ हूँ। फिर एप्लीकेशन दिया गया कि रिपोल हो। रिपोल होने में कितने घंटे लगने हैं। हमारे एक्स एडवोकेट जनरल कक्कर साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कोई रिपोल नहीं हो सकता। इस पर बहस हुई। कलेक्टर ने सब सुना कि पांचों अरेम्बली क्षेत्रों की काउन्टिंग हो चुकी है। साढ़े सात लाख की वह कंस्टीट्यून्सी है। कलेक्टर ने कहा कि रिपोल नहीं हो सकता। फिर उधर से कहा गया कि हम और

एप्लीकेशन दे रहे हैं कि रिकार्डिंग हो। इस पर रिटर्निंग अफसर ने कहा कि काउन्टिंग के समय आपने किसी टेबल पर एतराज नहीं किया और अब कर रहे हैं। यह बात भी उनकी नहीं मानी गई। इस बात का अखबारों में प्रचार किया गया कि राज नारायण के एजेण्टों ने जबर्दस्ती हमारे वोटों को पोलिंग स्टेशंस पर नहीं जाने दिया। इतना सब कुछ होने पर भी और एक घंटा खर्च करने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। कलेक्टर ने फँसला दे दिया कि कोई रिपोलिंग और रिकार्डिंग नहीं होगी। यह है डेमोक्रेसी। इसके बाद तीन बजे रेडियो पर अनाऊंस हुआ और चार बजे हटी एमर्जेसी। चार बजे के रेडियो में बताया गया कि रायबरेली की जनता ने इंदिरा जी को करीब 56 हजार वोटों से हरा दिया। इस सब के बावजूद देश की भयादा, इज्जत, महिमा, शान-शौकत, गरिमा, को बचाया गया। फिर भी वे कहते हैं कि जनता पार्टी कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा है। मित्र, जनता पार्टी एक है। इसका नाम एक है। इसका झंडा एक है, चुनाव-चिह्न एक है। इसका घोषणापत्र एक है। इसको नीति वक्तव्य एक है। फिर कैसे कहते हो कि जनता पार्टी खिचड़ी है ? क्या यह सब जनता को भ्रमित करने के लिए कहते हो ?

मैं आपको बताऊँ कि कितने राजे-महाराजों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिये और सब हम लोगों से हारे। राजा साहब माण्डा हारे। हमारे रूपनारायण जी यादव से हारे राजा दिनेश सिंह जी। "जाको पिया मानी वही सुहागिन नाम"। ये देखिए हमारे यमुना प्रसाद जी शास्त्री महाराजा रीवां को ध्वस्त करके आए हैं। महाराज कुमार बचनसिंह, महारानी बलरामपुर, राजा मनकपुर, नवाब रामपुर, राजा साहब पटियाला कितने नाम गिनाऊँ ? इनको कितने टिकट दिया था ? अभी और चाहिए तो सुनो राजा चरणसिंह महाराज:

[श्री राज नारायण]

बड़ौदा, महाराजा त्रिपुरा, कोटा। क्या ये सब सोशललिस्ट हो गए हैं? इस पर भी यशवंतराव जी कहें कि जनता पार्टी तो खिचड़ी है। क्या राजा महाराजाओं के साथ कांग्रेस पार्टी की खिचड़ी पक गयी है जो खाने में उन्हें बहुत पसन्द है? क्या इसीलिए उन्हें खिचड़ी का नाम बहुत याद आता है? जनता पार्टी खिचड़ी नहीं है। जनता पार्टी एक है और एक रहेगी। इस पार्टी का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। यह जनता की पार्टी है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जिस तरह से कृष्ण ने जेल में जन्म लिया था उसी तरह से जनता पार्टी ने भी जेल में जन्म लिया है। मालूम है कि इसका चुनाव चिन्ह क्या है? चक्र के बीच में खड़ा हुआ हलधर। चक्र कृष्ण हैं और हलधर बलराम। कृष्ण और बलराम दोनों जनता पार्टी की सहायता के लिए खड़े हैं। हमारे चरणसह भी बलराम हैं। कृष्ण भी कहीं से आएगा। कृष्ण छिपा रहता है। जिसको कृष्ण को मारना होता है उस पर चक्र को ठेक देता है। अगर कृष्ण से चक्र को चलवाना होगा तो बलराम इशारा कर देंगे। ऐसी है जनता पार्टी। यह आप से लड़ेगी और प्रगति करेगी।

बहुत कहा गया कि हमने निर्यात बढ़ाया। इतने प्रतिशत रुपये का निर्यात बढ़ाया। इसके बारे में मैं बजट के आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा। बजट पर जिसको बोलना होगा, वह जवाब देंगे। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि आप ब्राजील का निर्यात देख लीजिए और छोटे-छोटे मुल्कों का निर्यात देख लीजिए। मुकाबले में भारत का निर्यात पहले से कम हुआ है।

इसलिए मैं कह रहा था कि फैमिली प्लानिंग तो होना चाहिये लेकिन जबर्दस्ती नसबन्दी नहीं होनी चाहिये। शुद्ध रूप से छोटा परिवार लोग रखें यह जुदा बात है। हमने इंदिरा जी को लिखा कि राम राज्य में परिवार सुनियोजित था। तमाम रामायण

से मैंने उनको उद्धरण दिए। मैंने लिखा कि रामचन्द्र जी के केवल दो लड़के थे, लव और कुश। भरत के केवल दो लड़के थे तक्ष और मष्क। लक्ष्मण के केवल दो लड़के थे, अंगद और चित्रकेतु। सहदेव के केवल दो लड़के थे, सुबाहु और ऊपकेतु। चारों भाइयों के दो दो लड़के थे। तब सुनियोजित परिवार था। राम राज्य में जबर्दस्ती न बन्दी नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। इसलिए जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में लिखा है कि जबर्दस्ती नसबन्दी नहीं होने दी जाएगी --

श्री बसन्त साठे : आप क्या करते थे ?

श्री राज नारायण : आत्म निग्रह, इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य। यहां कोई बहनें तो नहीं हैं इसलिए मैं बोल दूँ कि ये सब काम मैं बहुत जानता हूँ लेकिन मैं भी इंद्रिय निग्रह करता हूँ। 1958 से अब तक घर नहीं गया हूँ।

महाभारत काल में भी कृष्ण का केवल एक लड़का था प्रद्युम्न। तब भी परिवार सुनियोजित था, जोर जबर्दस्ती नहीं थी, नसबन्दी नहीं थी। पांच पाण्डवों के द्रौपदी के पेट से एक एक बच्चा पैदा हुआ। एक धर्मराज युधिष्ठिर से, एक भीम से, एक अर्जुन से, एक नकुल से और एक सहदेव से। मगर जबर्दस्ती नसबन्दी नहीं हुई।

अब आजाइये हमारे मुहम्मद साहब पर। उन के एक ही लड़की थी और दामाद से केवल दो बच्चे पैदा हुए—हसन और हुसैन। जबर्दस्ती नसबन्दी नहीं थी, परिवार सुनियोजित था।

SHRI O. V. ALAGESAN (Arko-nam): How many sons did Dridharashtar have?

श्री राज नारायण : धृतराष्ट्र और रावण की संस्कृति कांग्रेस पार्टी की थी। वह वह जाने। हमारी संस्कृति राम की है, युधिष्ठिर की है। हम उस का क्यों उदाहरण दें।

श्री वसंत साठे : घृतराष्ट्र के लिये नस-बन्दी जरूरी है ।

श्री राज नारायण : अगर घृतराष्ट्र कांग्रेस बनेगी तो उस का तरीका हम कोई निकालेंगे ।

मैं कह रहा था कांग्रेस वालों के लिये कि भाई आप अपना शास्त्र पढ़ो, नीति पढ़ो, गांधी जी को भी पढ़ो । पुरुष जब बच्चा पैदा करना चाहता है तभी बच्चा पैदा होता है । पति पत्नी का संबंध कब और कैसे हो कि बच्चा पैदा हो । कब हो, कैसे हो कि बच्चा पैदा न हो । हम से आप अलग से पूछोगे तो बता देंगे । मासिक धर्म होता है, स्त्रियां रजस्वला होती हैं, 14 दिन के बाद अगर तुम पत्नी के साथ सम्भोग करोगे बच्चा नहीं होगा । और 5, 6 दिन के बाद करोगे तो कुत्ते की तरह बच्चे पैदा करोगे । चूंकि संसद् के सम्मानित सदस्य हैं इसलिये हम आप को झूठ नहीं बोलते हैं । हम धर्म शास्त्र पढ़े हैं जिस में लिखा है कि सदन में पहले जाओ नहीं । और अगर जाओ तो सत्य को असत्य से रूंधा न जाने दो । तो हमने थोड़े में बता दिया, और सीखना चाहोगे तो बहुत सी किताबें हैं । हमने सिखा दिया इस तरह से चलो, अनावश्यक ढंग से बेमतलब बात न करो । नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात । बिना अवसर की बात अच्छी होरे पर भी फीकी लगती है । बनत न युद्ध में रस, श्रंगार सुहाग । श्रंगार रस अच्छा है मगर जब लड़ाई हो रही हो उस बात कोई कहे कि बलमवा घर न आये मोर उमरिया सारी बीती जाय, अच्छा नहीं लगेगा । फीकी पर नीकी लगे कहिये समय विचार, सब के मन हर्षित करे क्यों विवाह में गरि । विवाह में औरतें गाली देती हैं कितना अच्छा लगता है । और अगर वही गाली दूसरे मौके पर दो तो सर फुटव्वल हो जाय । इसलिये बेअवसर बात न कहो । सत्य बात कहो, नीति के साथ चलो । और इस बात को हमारी मान लो

कि कांग्रेस पार्टी ने 30 साल तक गांधी जी के रास्ते को छोड़ कर इस देश का बहुत ही अहित किया है ।

और एक बात कह दूं क्योंकि गृह मंत्री जी मौजूद हैं व्हील आफ हिस्टरी, इतिहास का चक्र देखिये कि कृष्ण पैदा होते हैं जमुना के किनारे और मरते हैं समुद्र के किनारे । गांधी पैदा होते हैं समुद्र के किनारे और मरते हैं जमुना के किनारे ।

कृष्ण के मरने के पहले उनके धाम के लोग जब उनको लेने के लिये आये तो कृष्ण ने कहा कि हमको थोड़े दिन और छोड़ दो क्योंकि हमारा यदुवंशी परिवार इतना शक्तिशाली हो गया है कि यदि मैं इनकी इस शक्ति के रहते हुए यहां से छोड़कर चला जाऊं तो ये किसी को रहने नहीं देंगे, इसलिये मैं पहले अपने परिवार का नाश कर लूं, तब चलूं । यह कृष्ण की क्षमता थी, उन्होंने कहा कि अपने परिवार का नाश करने के बाद इस दुनिया से अपने को उठाऊंगा । आप किसी में क्या यह क्षमता है ?

हमारे में यह क्षमता है, इसलिये चाहे मैं लखनऊ में रहा, दिल्ली में रहा, हमारे साथ हमारे परिवार का एक आदमी भी नहीं रहा ।

कृष्ण ने कहा कि मैं बुद्धि हूं और हमारा परिवार शक्ति है । बुद्धि चली जायेगी तो शक्ति रह जायेगी और वह राक्षस हो जायेगी । वह किसी को नहीं रहने देगी । इसलिये मैं अपने रहते-रहते इस शक्ति का नाश कर के जाऊंगा । फिर वे ऋषियों को ले गये, आप दिलवाये और सब नाश हुआ है ।

गांधी जी ने 29 जनवरी, 1948 को क्या कहा, यह मैं अपने बन्धुओं से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि जो कांग्रेस में है या हमारे दल में भी है, वह सब गांधी जी के इस वाक्य

[श्री राज नारायण]

को हृदयंगम करें। गांधी जी ने कहा कि "कांग्रेस तो तोड़ दो, इसकी उपयोगिता नहीं रहेगी।"

30 तारीख को लोग गांधी जी के पास गये और कहा कि बापू, अभी यह लेख जाने लायक नहीं है। गांधी जी ने कहा कि अगर यह जाये, समय उपयुक्त आ गया है यह लेख प्रकाशित होने के लिये। 30 तारीख को गांधी जी ने वह लेख प्रकाशित होने के लिये दे दिया।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गांधी जी पागल थे, क्या गांधी जी बेवकूफ थे? गांधी जी की इस राय को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया? गांधी जी चाहते थे, समझते थे कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरा परिवार अपनी शक्ति के सामने किसी को टिकने नहीं देगा। इसलिये मैं अपने परिवार को खत्म करके तब जाऊंगा। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस के पाम जो इतनी शक्ति हो गई है, वह हमारे कारण और हम देश की जनता के कारण हो गई है, इसलिये वह उस शक्ति को तुड़वाकर जाना चाहते थे। अपने मरने के 24 घण्टे पहले उन्होंने यह लिखा, मगर देश का दुर्भाग्य था कि गांधी जी जब सभा में आ रहे थे, तो उसी सभा के बीच गांधी जी को मार दिया गया।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): The hon. Minister should not mislead the House. Gandhiji said in that article in the *Harijan* that the Congress had a historical role and so it should be dissolved. I can produce the document for him. The hon. Minister is not expected to mislead the House. I can get you the issue, please read it.

श्री राज नारायण : मेरे पास तो रीखवार गांधी जी का लेख है। जिनके नाम प्राप्ति के लेख में लिखे हैं। अब यही निवेदन है कि गांधी जी ने यह कहा क्या? गांधी जी ने इसलिये कहा कि अगर हम नहीं रहेंगे तो कांग्रेस अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर के देश

की जनता को चौपट कर सकती है। क्या कांग्रेस ने वही नहीं किया? वही किया। जो भी हो, मगर गांधी जी के मरने के बाद हम वहां नहीं थे।

मेरी प्रार्थना है कि सारे का सारा समुच्चय सब चुनकर, जनता पार्टी अपने में एक है, इसका सिद्धान्त एक है, इसका झंडा एक है, इसका चुनाव घोषणा-पत्र एक है। यह एक ही रहेगी, कांग्रेस मर जायेगी, तो भी जनता पार्टी का बाल बांका नहीं कर सकेगी। यही एकमात्र पार्टी है, जो हर हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, ब्राह्मण, बनिया, धोबी, भंगी आदि सब की पार्टी है, और जनता की पार्टी है, हर मर्द-औरत की पार्टी है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अभी भी सद्वृद्धि आये। कांग्रेस पार्टी छोड़ कर आओ और जनता पार्टी में शामिल हो जाओ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we are going to start discussion on Private Members' Business. But I am sorry to say that there are so many Members who would like to speak today. They would not be able to speak today.

Shri Kanwar Lal Gupta.

श्री यज्ञ दत्त शर्मा (गुरदासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप किसी भी विषय के लिये समय निश्चित करते हैं, और सूची पर जिन सदस्यों के नाम हैं उनके लिये ठीक तरह से समय की व्यवस्था करना आप का कर्तव्य है ताकि सब को बोलने का अवसर मिल सके।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are a new Member.

(Interruptions)

SHRI YAGYA DATT SHARMA (Gurdaspur): I am not a new Member.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then you should know this thing that there

is no time limit for a Minister. I would like you to exercise self-restraint.

SHRI YAGYA DATT SHARMA: There are a number of speakers who took unlimited time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You should have raised this objection then and there. As far as I am concerned, I know that Mr. Raj Narain was taking a lot of time. I could not stop him because he is a Minister.

The debate will continue on the next day.

15.30 hrs.

RESOLUTION RE: APPOINTMENT OF HIGH POWERED COMMITTEE TO GO INTO CERTAIN CONSPIRACY.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we proceed with the Private Members' Business. Before we begin discussion on Private Members' Business, we have to fix time for this resolution. Otherwise, the next resolution will not see the light of the day. So, we do like this. We should fix sometime for this resolution; may be two hours.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): I am on a point of order. You kindly see Rule 173(i) to (iv). You see this resolution. Unfortunately, it is very badly phrased and worded. What is being sought is almost an omnibus enquiry mentioning not only Government of India but also various other individuals and various scandals not pin-pointing one particular theme. As far as 173(i) is concerned, it is mandatory and it definitely lays down that the resolution "shall be clearly and precisely expressed". As it follows, you will see from this resolution, as it is worded today; it clearly attracts and violates every one of the above rules. Uptil now, we had no chance to raise any objection on this question.

Therefore, I am raising this point of order before it is discussed. We have very serious reservations and particularly it will be a very bad precedent if the words "joint deliberate conspiracy by the erstwhile Government of India" remain on this. I would like to make it clear that we have nothing against your proceeding in any manner against any individual or on any particular issue, but ultimately this House must protect not only the dignity of the Government of India but also of this House. But, on this side, I can definitely assure you that we will not come in any way in your way on any kind of enquiry. But this is a vital issue; this is a procedural issue.

श्री मधु लिये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय करने के पहले जो हमारे नियम हैं उनको ठीक से देख लें। उनीकृष्णन् जी का कहना है कि इसमें कई मामले आए हैं और यह इस खण्ड का उल्लंघन करता है :

"In order that a Resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely,

- (1) it shall be clearly and precisely expressed; and
- (2) it shall raise substantially one definite issue."

अध्यक्ष महोदय, यह तो आपने मंजूर किया है तभी आर्डर पेपर पर आया है लेकिन प्राइमर फेसी आपने देखा कि नियम के अनुसार है, इसलिए आपने इस को आर्डर पेपर पर रखा। अब उनीकृष्णन् जी ने कुछ आक्षेप उठाया है। मुझे यह कहना है कि इस प्रस्ताव में एक ही विषय है और वह बिल्कुल स्पष्ट है। वह विषय यह है कि एक जांच कमीशन बैठाया जाय और तीन महीने के अन्दर वह अपनी रिपोर्ट दे। यह इसका मुख्य आशय है। लेकिन उदाहरण के तौर पर कुछ बातें कही गई हैं। मैं खुद इसमें एक संशोधन देने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया जहाँ कहा